राजकीय विद्यालयों में उपलब्ध सुविधाएँ

- राजकीय विद्यालयों में योग्यताधारी व प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा शिक्षण कार्य।
- विद्यार्थी एवं विद्यालय के विकास के लिए समस्त विद्यालयों में विद्यालय प्रबन्धन समिति संचालित जिसमें अभिभावक, जनप्रतिनिधि, विद्यार्थी स्वयं तथा शिक्षक की सहभागिता।
- प्रतिमाह विद्यालय प्रबन्धन समिति (एस.एम.सी.) की कार्यकारिणी समिति की बैठक।
- कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा के साथ-साथ निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें, मध्याह्न भोजन (मिड-डे मील) एवं विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा।
- कक्षा 8 के मेघावी एवं पात्र विद्यार्थियों को लेपटॉप वितरण।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग हेतु एवं प्री कारगिल तथा पोस्ट कारगिल युद्ध में शहीद/स्थायी विकलांग सैनिकों के बच्चों के लिए नियमानुसार छात्रवृत्ति।
- बाल-सभा के माध्यम से विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति के अवसर एवं विद्यालयों का समुदाय से जुड़ाव।

समावेशी शिक्षा

राज्य में समग्र शिक्षा अभियान के समावेशित शिक्षान्तर्गत कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं हेतु निम्न सुविधाएं निःशुल्क प्रदान की जाती है :-

1. ब्रेल पुस्तकों एवं लार्ज प्रिन्ट पुस्तकों की व्यवस्था।
2. मेडिकल कम असेसमेन्ट कैम्प।
3. अंग-उपकरण वितरण।
4. परिवहन भत्ता।
5. एस्कॉर्ट भत्ता।
6. रीडर भत्ता।
7. बालिकाओं हेतु भत्ता (Stipend for Girls)
8. पूर्ण दृष्टिबाधित एवं श्रवणबाधित बालिकाओं हेतु आत्मरक्षा प्रशिक्षण।

बच्चों की सुविधा एवं मदद के लिए निःशुल्क
हेल्पलाइन नं. 1098

प्रकाशक
राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मण्डल, जयपुर

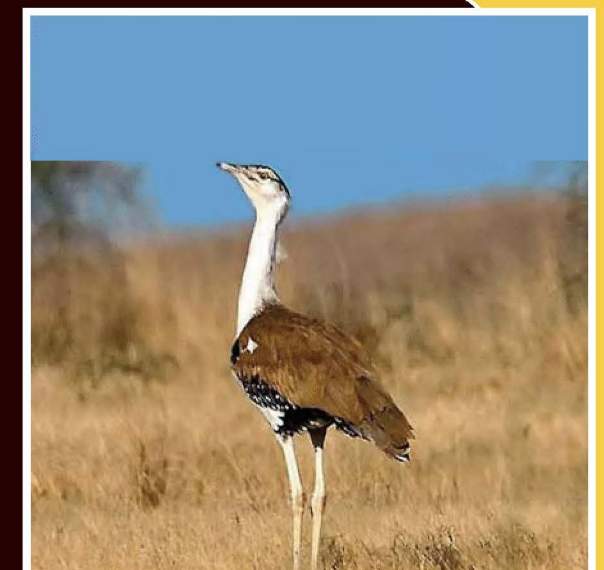


हमारा राजस्थान

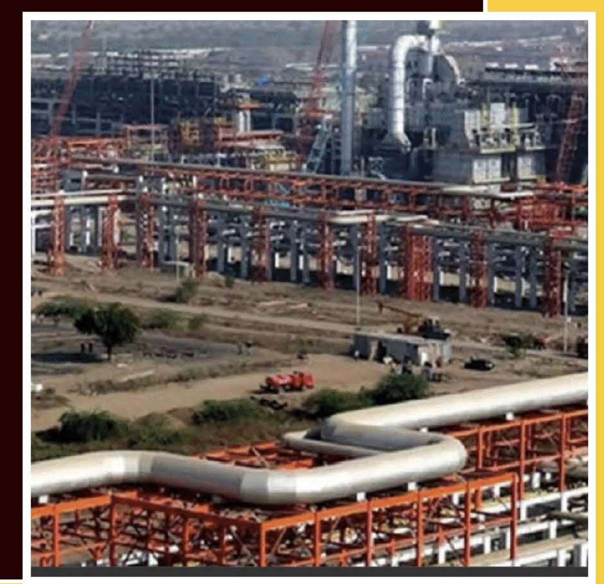
कक्षा–7

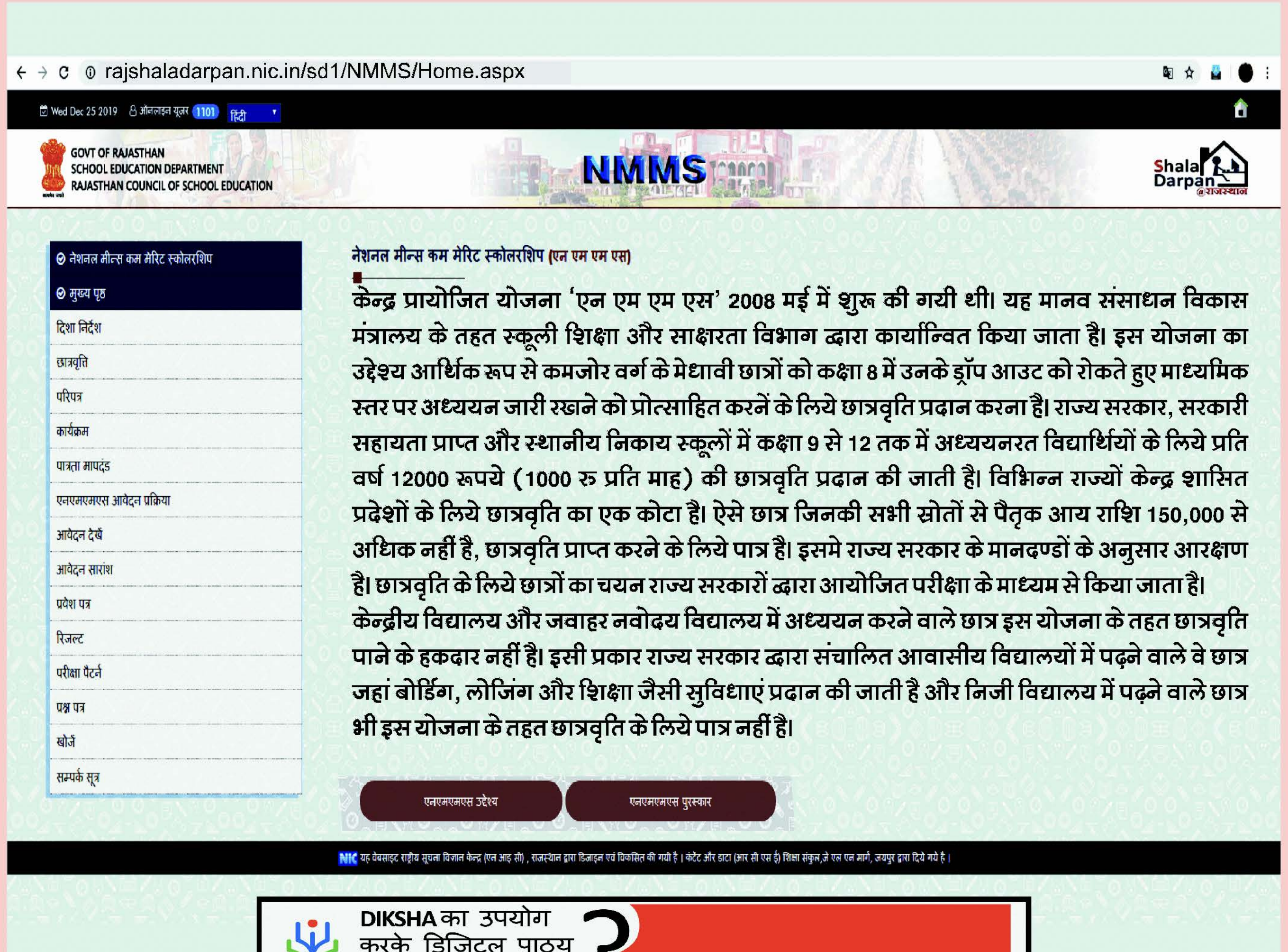
भाग–2

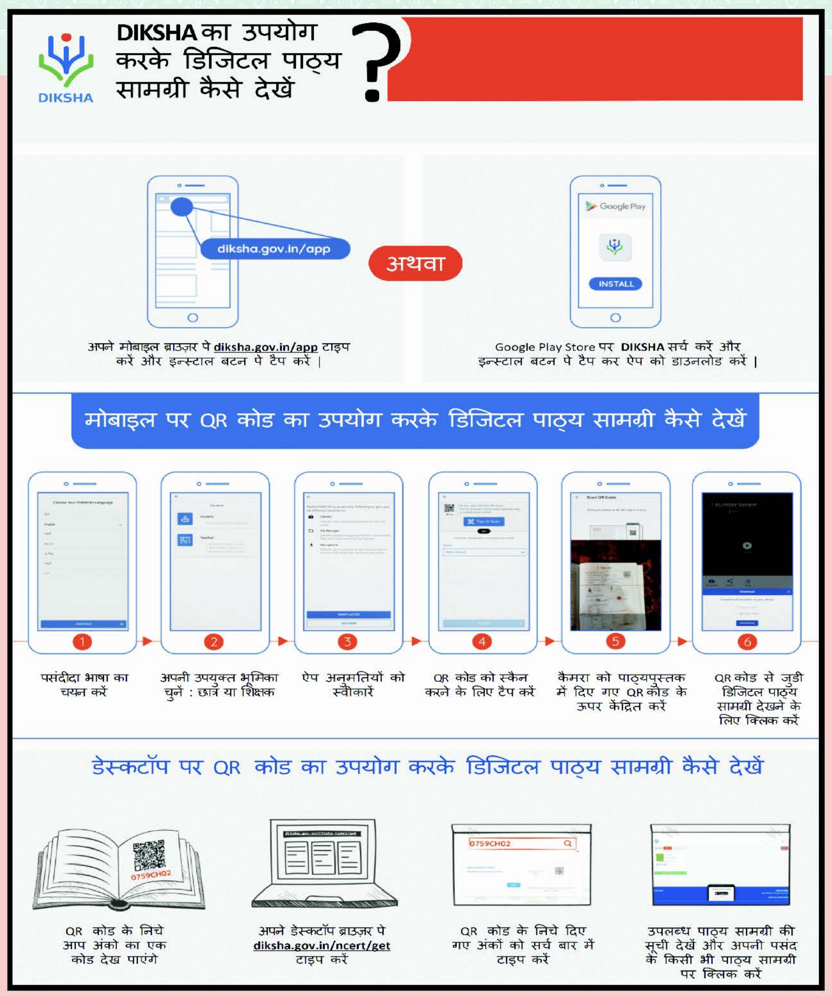












भारत का संविधान

भाग 4 क

नागरिकों के मूल कर्तव्य

अनुच्छेद 51 क

मूल कर्तव्य– भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह–

(क) संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे;

(ख) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे;

(ग) भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे;

(घ) देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे;

(ङ) भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो;

(च) हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्त्व समझे और उसका परिरक्षण करे;

(छ) प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणिमात्र के प्रति दयाभाव रखे;

(ज) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे;

(झ) सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे;

(ञ) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत् प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू सके; और

(ट) यदि माता–पिता या संरक्षक है, छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु वाले अपने, यथास्थिति, बालक या प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करे।



E3I5N3

हमारा राजस्थान

कक्षा – 7

भाग–2

राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् ,उदयपुर

प्रकाशक

राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल, जयपुर

प्रथम संस्करण :

मुद्रण :

©
©
©

मूल्य :

पेपर उपयोग :

प्रकाशन :

आवरण पृष्ठ एवं साज–सज्जा

डॉ. जगदीश कुमावत, आर.एस.सी.ई.आर.टी
हेमन्त आमेटा, आर.एस.सी.ई.आर.टी

भारत का संविधान

उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक [1][संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य] बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को :

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय,
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म
और उपासना की स्वतंत्रता,
प्रतिष्ठा और अवसर की समता
प्राप्त कराने के लिए,
तथा उन सब में
व्यक्ति की गरिमा और [2][राष्ट्र की एकता
और अखंडता] सुनिश्चित करने वाली बंधुता
बढ़ाने के लिए

दृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई. को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

---

1. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा (3.1.1977 से) ''प्रभुत्व-संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य'' के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा (3.1.1977 से) ''राष्ट्र की एकता'' के स्थान पर प्रतिस्थापित।

प्राक्कथन

वीर प्रसूता ये धरा, अनुपम राजस्थान,
अमर हमेशा ही रहे, मरुधरा का मान।
सदियों से होता रहा, इसका गौरव गान,
प्रीत रीत माने सदा, अद्भुत राजस्थान।।

राज्य सरकार के निर्णयानुसार, कक्षा 6 से 8 के लिए, राज्य में एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकें राज्य के समस्त विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2020–21 से लागू की जा रही है। इन पुस्तकों के माध्यम से विद्यार्थी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, इतिहास, भूगोल, नागरिक–शास्त्र व अर्थ तंत्र के ज्ञान को आत्मसात करेगा। इसके साथ ही प्रासंगिक होगा कि, आन–बान–शान, शौर्य और बलिदान के लिए सुविख्यात राजस्थान की भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, आर्थिक एवं राजनैतिक तथ्यों की बहु–पक्षीय जानकारी के साथ विद्यार्थी तादात्म्य स्थापित कर सके।

राजस्थान देश भर में अपनी सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक विविधता के लिए जाना जाता है। व्यास, चंबल, बनास, लूनी, घग्गर नदियों के वरदान को समेटे हुए रेतीला, बंजर, पर्वतीय, उपजाऊ कच्छारी मिट्टी से अवस्थित हमारा राज्य जहां एक ओर सादगी व अपनेपन के लिए प्रसिद्ध है, वहीं दूसरी ओर रंग–बिरंगी वेशभूषा एवं मनोहारी लोक–कलाओं के लिए जाना जाता है। दुर्गों एवं हवेलियों की भूमि, राजस्थान हमारी गौरवपूर्ण विरासत है। राजस्थान की इन्हीं विभिन्न विशेषताओं को पाठ्य पुस्तक "हमारा राजस्थान" में समाहित किया गया है।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (NCF) 2005, विद्यार्थी के द्वारा अर्जित ज्ञान को बाह्य जीवन से जोड़ने हेतु निर्दिष्ट करती है। अध्ययन–अध्यापन प्रक्रिया, विद्यार्थियों के लिए ज्ञानार्जन के अवसर सृजित करने हेतु प्रवृत्त करती है। इसी उद्देश्य से पाठ्यपुस्तक में विद्यार्थियों को, रचनात्मक गतिविधियों एवं अभ्यास के अवसर प्रदान किए गए हैं।

इस पुस्तक को तैयार करने में संवैधानिक मूल्यों व राज्य की सामाजिक, आर्थिक संरचना, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तथा भौगोलिक, सांस्कृतिक तथ्यों को समाहित करने का यथा संभव प्रयास किया गया है। तथापि विद्वजन कोई युक्तियुक्त सुझाव देते हैं, तो सदैव स्वागत रहेगा।

इस पुस्तक निर्माण में, प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप में जिन व्यक्तियों व संस्थाओं का योगदान रहा है, उनका मैं आभार प्रकट करती हूँ। साथ ही विभिन्न ऑनलाइन माध्यमों जैसे वेबसाईट, पोर्टल, ब्लॉग आदि से विद्यार्थियों के शैक्षिक उन्नयन हेतु प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से अधिगम सामग्री, चित्रों का उपयोग इस पुस्तक में किया गया है, उनके लिए भी विशेष आभार व्यक्त करती हूँ।

निदेशक
राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं
प्रशिक्षण परिषद्, उदयपुर

पाठ्यपुस्तक निर्माण समिति

संरक्षक	–	सुश्री प्रियंका जोधावत निदेशक, आर.एस.सी.ई.आर.टी., उदयपुर
मुख्य सलाहकार	–	प्रो. आई.वी. त्रिवेदी पूर्व कुलपति, एम.एल.एस.यू., उदयपुर
परामर्शक	–	प्रो. पी. आर. व्यास, पूर्व आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, एम.एल.एस.यू, उदयपुर
	–	प्रो. संजय लोढ़ा, आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, एम.एल.एस.यू., उदयपुर
	–	डॉ. जे. के. ओझा, प्राचार्य, राणा प्रताप कन्या महाविद्यालय, भीण्डर
	–	डॉ. एन. के. दशोरा, पूर्व निदेशक, ऐश्वर्या कॉलेज, उदयपुर
मुख्य समन्वयक	–	ललित शंकर आमेटा, प्रभागाध्यक्ष, पाठ्यचर्या, सामग्री निर्माण एवं मूल्यांकन प्रभाग, आर.एस.सी.ई.आर.टी., उदयपुर
समन्वयक	–	आशा माण्डावत, एसोसिएट प्रोफेसर, आर.एस.सी.ई.आर.टी., उदयपुर
सह–समन्वयक	–	सविता जोशी, असि. प्रोफेसर, आर.एस.सी.ई.आर.टी., उदयपुर
संयोजक	–	पूनम सक्सेना, एसोसिएट प्रोफेसर, आर.एस.सी.ई.आर.टी., उदयपुर

लेखक समूह	–	डॉ. पूर्णिमा सिंह, असि. प्रोफेसर, मीरा कन्या महाविद्यालय, उदयपुर
	–	डॉ. नेहा पालीवाल, असि. प्रोफेसर, एम.एल.एस.यू. उदयपुर
	–	पवन कुमार भंवरिया, असि. प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय, लक्ष्मणगढ़, सीकर
	–	डॉ. योगेश कुमार शर्मा, प्रधानाचार्य, रा.उ.मा.वि. अलीगढ़, उदयपुर
	–	डॉ. हरीश कुमार बैरी, व्याख्याता, रा.उ.मा.वि. गोडियावास, अजमेर
	–	रामावतार यादव, व्याख्याता, रा.उ.मा.वि. सोहेला, टोंक
आवरण सज्जा	–	डॉ. जगदीश कुमावत, असि. प्रोफेसर, आर.एस.सी.ई.आर.टी, उदयपुर
तकनीकी सहयोग	–	हेमन्त आमेटा, असि. प्रोफेसर, आर.एस.सी.ई.आर.टी. उदयपुर
क्यू आर कोड	–	रविन्द्र कुमार शर्मा, असि. प्रोफेसर, शैक्षिक प्रौद्योगिकी, अजमेर आर.एस.सी.ई.आर.टी. उदयपुर
कम्प्यूटर ग्राफिक्स	–	अविनाश कुमावत (कोटावाला ऑफसेट), जयपुर

शिक्षकों से संवाद

राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर द्वारा कक्षा 6, 7 एवं 8 के सामाजिक विज्ञान विषय की एनसीईआरटी की पुस्तकें सत्र 2020–21 से राज्य के विद्यार्थियों हेतु लागू की गई है। इन पुस्तकों के साथ राजस्थान राज्य की भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को विद्यार्थी तक पहुँचाने हेतु राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा कक्षा 6, 7 एवं 8 हेतु क्रमशः भाग 1, 2, 3 'हमारा राजस्थान' शीर्षक से पाठ्यपुस्तक तैयार की गई है। शिक्षकों से अपेक्षा है कि हमारा राजस्थान पाठ्य पुस्तक की पाठ्य सामग्री के साथ–साथ पाठ्यपुस्तक के कवर पेज एवं लेआउट में निहित संदेश को भी छात्रों तक विस्तार से पहुँचाने का प्रयास किया जावे।

इसमें निहित प्रायोजना कार्य अनिवार्यतः करवाए जाएं, शिक्षक बालक की खोजी प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देते हुए विषय से संबंधित चित्र बनाना, संग्रह करना, मानचित्र बनाना एवं उनमें स्थान चिन्हित करना, महापुरुषों की जीवनियां पढ़ना, घटनाओं को तिथि क्रम में लिखवाना आदि गतिविधियों द्वारा 'करके सीखने' की आदत विकसित करें।

हमारा राजस्थान पुस्तक में शिक्षकों हेतु दिए गए बिंदुओं में राजस्थान की कला व संस्कृति, इतिहास, भौगोलिक स्वरूप, सामाजिक जीवन व समृद्धि राजनीतिक विरासत को रोचक, सरल और व्यावहारिक रूप में उजागर करने वाली पाठ्य सामग्री समावेशित करने का प्रयास किया है, जो बालक में अपने प्रदेश के प्रति गौरव की भावना जागृत करेगा।

अपने क्षेत्र की कलात्मक एवं ऐतिहासिक धरोहर के संरक्षण में विद्यार्थियों की भूमिका पर चर्चा करें। शिक्षक अभिभावक बैठकों, बाल सभाओं के माध्यम से जानकारी का आदान–प्रदान अभिभावकों के साथ करेंगे। विद्यार्थियों में सामाजिक समुदाय के साथ संपर्क स्थापित करने हेतु प्रेरित करें।

विद्यार्थी को पारस्परिक विचार–विमर्श, पाठ्य सहगामी क्रियाओं, शैक्षिक गतिविधियों इत्यादि के माध्यम से अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने तथा उनकी मानसिक व शारीरिक क्षमताओं के विकास हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान करें। समय–समय पर राज्य में शासन में समाज में आए परिवर्तित नियमों, नीतियों नवाचारों, नवीन पद्धतियों आदि की नवीनतम जानकारी से विद्यार्थियों को अवगत कराते रहें।

'हमारा राजस्थान' पुस्तक में दिए गए आंकड़ों को समय–समय पर प्राप्त नवीनतम आंकड़ों के साथ अद्यतन करते हुए पढ़ाएं। राज्य सरकार के संवेदी सूचना तंत्र, ई ज्ञान पोर्टल, दीक्षा पोर्टल, विद्यालय प्रसारण आदि का उपयोग करने हेतु विद्यार्थियों को प्रेरित करें।

अनुक्रमणिका

अध्याय 1

वन, वन्य जीव एवं संरक्षण

N4M5V2

कक्षा में, आज एक नये विद्यार्थी का आगमन हुआ। सभी विद्यार्थी उसके बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। शिक्षक ने, कक्षा में आकर नये विद्यार्थी से उसका नाम पूछा तथा सत्र के मध्य में प्रवेश का कारण पूछा। विद्यार्थी ने बताया "मेरा नाम ईशान है, मेरे पिता वन विभाग में कार्यरत हैं। उनका हाल ही में भरतपुर से स्थानान्तरण इस शहर में हुआ है। वे केवलादेव घना राष्ट्रीय पक्षी उद्यान में कार्यरत थे"। शिक्षक ने कक्षा में बताया कि, इस पक्षी उद्यान में साइबेरियन क्रेन (सारस), बगुला, बया, कोयल, बटेर जैसे अनेक पक्षी पाये जाते हैं। वन्य जीवों एवं पक्षियों के आवास हेतु वन महत्त्वपूर्ण होते हैं।

वनों का महत्त्व

वन प्रकृति के द्वारा प्रदत्त अमूल्य उपहार हैं। पेड़–पौधे हमें शुद्ध हवा देने के साथ वर्षा में भी सहयोग करते हैं। पेड़–पौधे वन्य जीवों को आश्रय प्रदान करते हैं। वन प्राकृतिक सुंदरता के साथ ही जलवायु को सम बनाते हैं। वन आजीविका के साधन भी होते हैं।

ध्यान रखें–

आप के घर एवं आस पास कोई छोटे पेड़–पौधे हों, तो उन्हें समय–समय पर पानी पिलाएं।

वनों का आर्थिक महत्त्व, उनसे प्राप्त होने वाले उत्पादन से होता है। राजस्थान के वनों से इमारती लकड़ी, ईंधन की लकड़ी, तेंदू पत्ता, बाँस, गोंद, खस और कई प्रकार की औषधियाँ प्राप्त होती हैं।

वनों के प्रकार

राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग दसवाँ भाग वन क्षेत्र है। राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र उदयपुर तथा सबसे कम वन क्षेत्र चूरू जिले में पाया जाता है।

वनों को तीन भागों में विभाजित किया गया है–

1. **आरक्षित वन** :– यह वन सरकारी नियंत्रण में आते हैं। पर्यावरण की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण होने के कारण इस क्षेत्र में पशु चराने व लकड़ी काटने पर प्रतिबंध होता है। ये कुल वन क्षेत्र के एक तिहाई से अधिक हैं।
2. **सुरक्षित वन** :– यह वन भी सरकारी नियंत्रण में आते हैं। कुछ नियमों के साथ इस क्षेत्र में लकड़ी काटने व पशुओं को चराने की अनुमति दी जाती है। इस प्रकार के वन, कुल वन क्षेत्र के आधे से अधिक क्षेत्र पर फैले हैं।

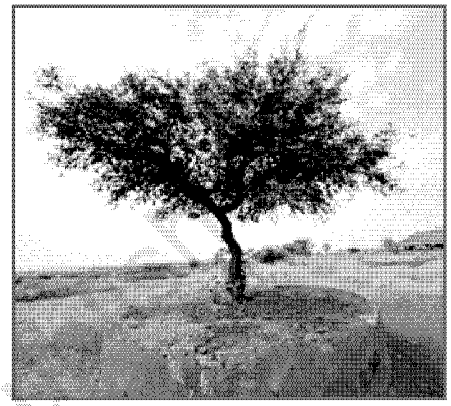
3. **अवर्गीकृत वन** :– इस श्रेणी के वन में, पशु चराने एवं लकड़ी काटने पर किसी भी तरह का सरकारी प्रतिबंध नहीं होता है।

भौगोलिक दृष्टि से वनों का वर्गीकरण

अरावली पर्वतमाला राजस्थान को दो भागों में विभक्त करती है। धरातलीय स्वरूप, जलवायु, वर्षा की मात्रा एवं मिट्टियों की भिन्नता वनस्पति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं। राजस्थान में भौगोलिक दृष्टि से तीन प्रकार के प्रमुख वन पाये जाते हैं–

1. उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन

ये वन, राजस्थान के शुष्क एवं अर्द्धशुष्क भागों में पाये जाते हैं। यह बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, जोधपुर, सीकर, झुंझुनूं, जालोर आदि जिलों में पाये जाते हैं। इन वनों में झाड़ियाँ एवं कंटीले वृक्ष पाए जाते हैं। मुख्य वृक्ष रोहिड़ा, खेजड़ी, धौकड़ा, बेर, बबूल, कैर, नीम आदि हैं। इस मरुस्थलीय वनस्पति को मरुद्भिद् भी कहा जाता है।



चित्र 1.1 : राज्य वृक्ष–खेजड़ी

विशेषताएँ

- यहाँ तापमान अधिक एवं वर्षा कम होती है।
- इस क्षेत्र में वृक्षों की पत्तियाँ छोटी होने के कारण वाष्पीकरण कम मात्रा में होता है।
- पेड़ों की जड़ें गहरी होती हैं, जिनसे ये जमीन के काफी नीचे से पानी प्राप्त कर सकते हैं।

'खेजड़ी' बहु उपयोगी वृक्ष है। 'खेजड़ी' को राजस्थान में कल्पवृक्ष भी कहा जाता है। यह राज्य वृक्ष भी है। 'रोहिड़ा' राजस्थान का राज्य पुष्प है। सेवण घास अत्यंत पौष्टिक घास है, जो जैसलमेर में पायी जाती है।



चित्र 1.2 : राज्य पुष्प–रोहिड़ा

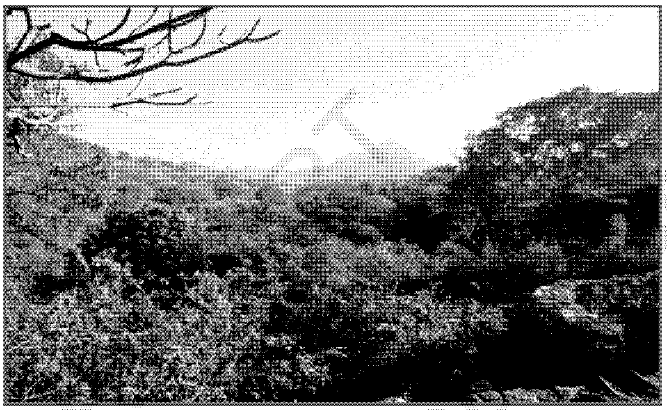
2. उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन

इन वनों को 'मानसूनी वन' भी कहते हैं। ऐसे वन मुख्यतः बाँसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चितौड़गढ़, कोटा, बारां, झालावाड़, अलवर, अजमेर, जयपुर, सवाईमाधोपुर, करौली, बूंदी एवं टोंक

जिलों में पाये जाते हैं। इन वनों में सागवान, बरगद, तेंदू, सालर, महुआ, गूलर, धौक, ढाक, साल, सीताफल, बाँस, आँवला, आम, नीम, शीशम आदि वृक्ष पाये जाते हैं। इन वनों की अधिकांश लकड़ियाँ मजबूत होती हैं। इन वनों के पेड़ ग्रीष्मकाल में अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं।

3. अर्द्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन

ये वन, सदैव हरे–भरे दिखते हैं इसलिए इन्हें सदाबहार वन कहते हैं। ये आबू पर्वतीय क्षेत्र में ही पाये जाते हैं। ये वन पहाड़ी के ऊँचाई वाले भागों में ही पाये जाते हैं। इन वनों में मुख्यतः आम, बांस, सागवान आदि वृक्ष पाये जाते हैं।



चित्र 1.3 : वन

राष्ट्रीय उद्यान

राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य एवं संरक्षित क्षेत्र हमारी प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवों को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। राजस्थान में तीन राष्ट्रीय उद्यान हैं–

1. **केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान**– केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य भरतपुर जिले में स्थित है। यहाँ साइबेरियन क्रेन, बगुले, बया, कोयल, बटेर आदि पक्षी पाये जाते हैं।
2. **रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान**– यह सवाई माधोपुर जिले में है। यहाँ बाघ, भालू, चीतल, सांभर, नीलगाय, मगरमच्छ आदि पाये जाते हैं। यह राष्ट्रीय उद्यान भारतीय बाघ के लिए प्रसिद्ध है।
3. **मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान**– यह कोटा और चितौड़गढ़ (रावतभाटा) जिले में फैला हुआ है। यहाँ बाघ, रीछ, जरख, गीदड़, भेड़िया, सांभर, चीतल, नीलगाय, चिंकारा, सियार आदि वन्य जीव पाये जाते हैं।

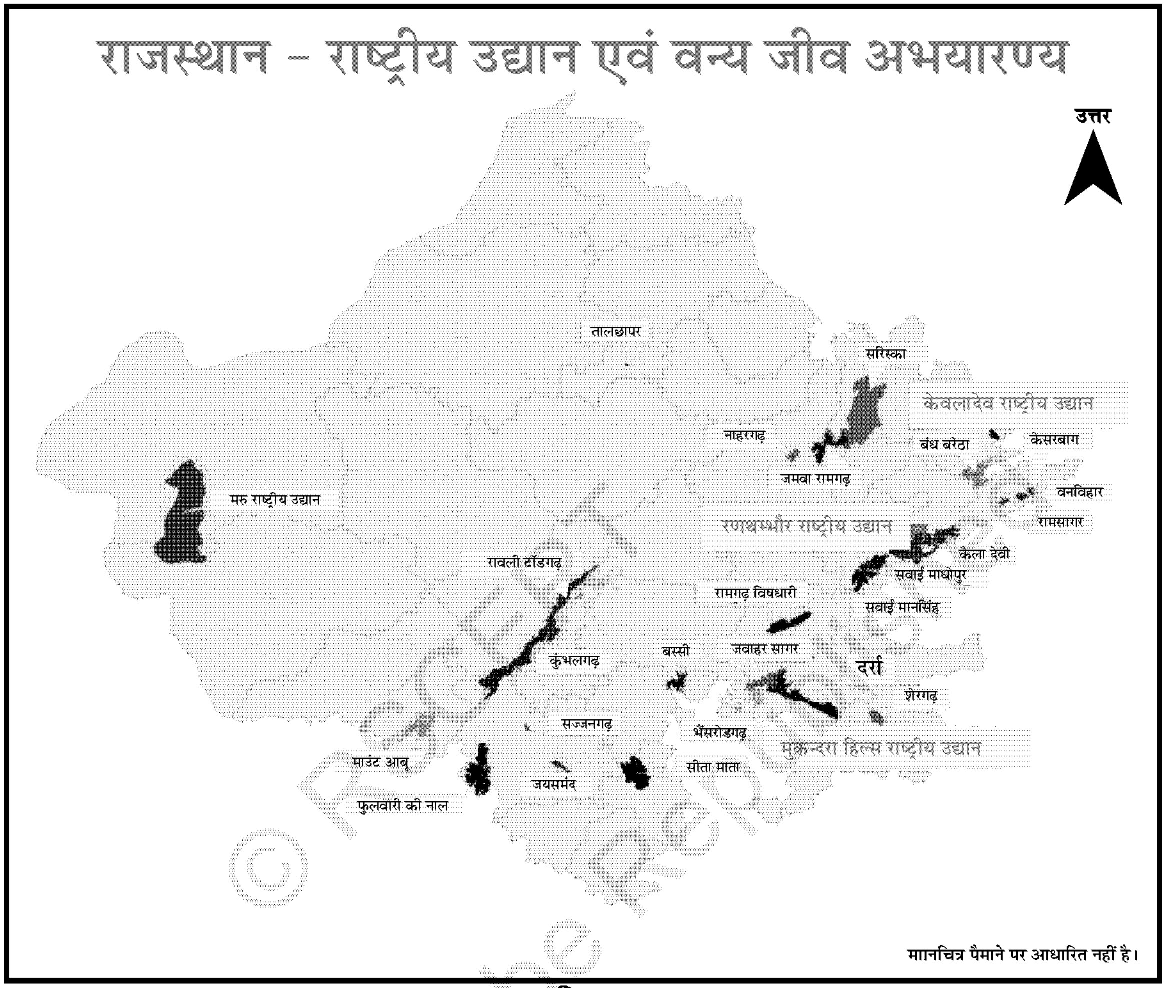
वन्य जीव अभयारण्य

अभयारण्य का अर्थ 'अभय अरण्य' (भय मुक्त वन) अर्थात् ऐसा वन जहाँ वन्य जीव सुरक्षित

घूम सकें। इसी उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा वन क्षेत्र को संरक्षित किया जाता है। राजस्थान में कई वन्य जीव अभयारण्य हैं जिनमें से कुछ प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य तालिका 1.1 में दर्शाए गए हैं:–

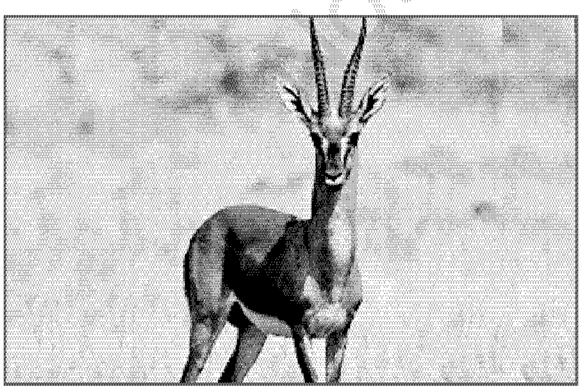
तालिका–1.1

क्र.सं.	अभयारण्य का नाम	जिला	वन्य जीव
1.	राष्ट्रीय मरु उद्यान वन्य जीव अभयारण्य	जैसलमेर, बाड़मेर	गोड़ावण (राज्यपक्षी), भेड़िया, सियार, लोमड़ी, चिंकारा, नीलगाय
2.	कैलादेवी वन्य जीव अभयारण्य	सवाईमाधोपुर, करौली	बघेरा, भेड़िया, चीतल, खरगोश
3.	कुम्भलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य	राजसमंद, पाली, उदयपुर	बाघ, भालू, चिंकारा, नीलगाय
4.	फुलवारी की नाल वन्य जीव अभयारण्य	उदयपुर	बाघ, चीतल, सियार, भेड़िया, सांभर
5.	सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य	अलवर	बाघ, जरख, सांभर, चीतल
6.	टॉडगढ रावली वन्य जीव अभयारण्य	राजसमंद, अजमेर, पाली	तेंदुआ, भालू, बाज, सियार, नीलगाय, रीछ
7.	सीतामाता वन्य जीव अभयारण्य	प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर	उड़न गिलहरी, सांभर, लोमड़ी
8.	माउण्ट आबू वन्य जीव अभयारण्य	सिरोही	रींछ, जंगली मुर्गा, चिंकारा, चीतल, सांभर
9.	रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य	बूँदी	विषधारी साँप, बाघ, रीछ
10.	जमवारामगढ़ वन्य जीव अभयारण्य	जयपुर	बघेरा, जरख, सियार, भेड़िया
11.	राष्ट्रीय चम्बल घड़ियाल वन्य जीव अभयारण्य	कोटा, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर (चंबल नदी के सहारे)	घड़ियाल, भेड़िया, सियार, लोमड़ी,

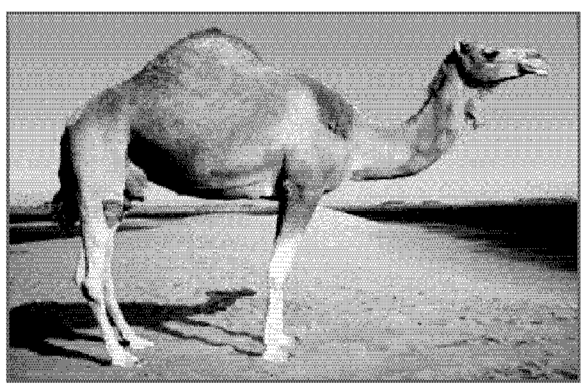


मानचित्र 1.1

इनके अतिरिक्त राजस्थान में, जवाहर सागर अभयारण्य (कोटा, बूँदी, चित्तौड़गढ़) बंध बरेठा वन्यजीव अभयारण्य (भरतपुर), भैंसरोड़गढ़ वन्यजीव अभयारण्य, बस्सी वन्यजीव अभयारण्य



चित्र 1.4 : राज्य पशु–चिंकारा (वन्य जीव)



चित्र 1.5 : राज्य पशु–ऊँट (पालतू पशु)

(चित्तौड़गढ़), सवाई मानसिंह वन्यजीव अभयारण्य, सवाईमाधोपुर वन्यजीव अभयारण्य (सवाईमाधोपुर), वन विहार वन्यजीव अभयारण्य, रामसागर वन्यजीव अभयारण्य, केसर बाग वन्यजीव अभयारण्य, (धौलपुर), जयसमन्द वन्यजीव अभयारण्य, सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य (उदयपुर), नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य (जयपुर), शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य (बारां), तालछापर वन्यजीव अभयारण्य (चूरू) में स्थित हैं।

राजस्थान में रणथम्भौर, सरिस्का एवं मुकंदरा हिल्स बाघ संरक्षण परियोजनाएँ हैं तथा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान एवं सांभर झील वेटलेण्ड (नमभूमि) स्थल है, जहाँ प्रवासी पक्षी आते हैं। वन्य जीव श्रेणी में चिंकारा एवं पालतू श्रेणी में ऊँट राज्य पशु हैं।

वन संरक्षण

राष्ट्रीय वन नीति वर्ष 1952 (संशोधित 1988) के अनुसार, कुल भू–भाग का लगभग 33 प्रतिशत वन क्षेत्र होना चाहिए। राजस्थान राज्य की वन नीति 2010 में, राज्य के सम्पूर्ण भू–भाग के 20 प्रतिशत को वृक्षाच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया था, ताकि पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण संतुलन बने रहने के साथ–साथ प्रदेशवासियों के सामाजिक, आर्थिक उत्थान के लक्ष्यों की प्राप्ति भी संभव हो सके। लेकिन, राजस्थान में वन क्षेत्र लगभग 10 प्रतिशत ही है। वनों की अन्धाधुन्ध कटाई एवं जागरूकता के अभाव के कारण राजस्थान में आरक्षित वन का क्षेत्रफल समय के साथ कम हुआ है। राजस्थान में वनों का विस्तार एवं संरक्षण प्रत्येक नागरिक का दायित्व है।

वन संरक्षण के उद्देश्य से राज्य सरकार एवं अनेक संस्थाओं द्वारा जनमानस में जागरूकता हेतु अभियान चलाये गये हैं। वनों से लकड़ी काटने पर पाबंदी लगाई गई। वृक्षारोपण, चारागाह विकास एवं सामाजिक वानिकी के कार्य किये गए हैं। जोधपुर में 'केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान' (काजरी) एवं 'शुष्क वन अनुसंधान संस्थान' (आफरी) स्थित हैं। इस संस्थान का उद्देश्य शुष्क एवं अर्द्ध शुष्क क्षेत्रों में वनों एवं वन्य जीवों के विकास हेतु अनुसंधान करना है।

यह भी जानें

राजस्थान के जोधपुर जिले के खेजड़ली गाँव में, ठेकेदारों द्वारा वृक्षों को काटा जा रहा था। इन्हें बचाने के लिए उस क्षेत्र के लोगों ने विरोध किया। अमृता देवी के नेतृत्व में 1730 ई. में 363 स्त्री–पुरुषों ने वनों को बचाने के लिए वृक्षों से लिपट कर बलिदान दिया था। अमृता देवी की स्मृति में, यहाँ एक मृग उपवन स्थापित किया गया है। प्रतिवर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की दशमी को, यहाँ विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है।

शब्दावली

वाष्पीकरण – तापमान अधिक होने पर जल का भाप बनकर उड़ जाना।

अभयारण्य – पशु–पक्षी विहार हेतु संरक्षित वन क्षेत्र।

सदाबहार वन – सदा हरा–भरा रहने वाला वन।

अभ्यास प्रश्न

I. निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर के विकल्प को कोष्ठक में लिखिए–

1. राजस्थान का राज्य पक्षी है –

   (अ) मोर (ब) गोड़ावण

   (स) तोता (द) कबूतर ( )

2. राजस्थान में सदाबहार वन कहाँ पाये जाते हैं –

   (अ) करौली (ब) उदयपुर

   (स) श्रीगंगानगर (द) माउण्ट आबू ( )

II. मिलान कीजिए–

1.	सीतामाता वन्य जीव अभयारण्य	(i)	साइबेरियन क्रेन (सारस)
2.	राष्ट्रीय मरु उद्यान वन्य जीव अभयारण्य	(ii)	उड़न गिलहरी
3.	रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान	(iii)	गोड़ावण
4.	केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान	(iv)	बाघ

III. अतिलघूत्तरात्मक प्रश्न–

1. राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए।
2. राजस्थान के किन्हीं चार वन्य जीव अभयारण्यों के नाम लिखिए।

IV. लघूत्तरात्मक प्रश्न–

1. वनों से होने वाले लाभ का वर्णन कीजिए।
2. राजस्थान के उष्ण कटिबंधीय कंटीले वनों की विशेषताएँ लिखिए।

गतिविधि

कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी, उसके द्वारा देखे गए राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभ्यारण्य का संस्मरण सुनाएं।

अध्याय 2

खनिज एवं ऊर्जा संसाधन

U1D9X4

प्राकृतिक संसाधनों में खनिज संसाधन महत्त्वपूर्ण हैं। राजस्थान में विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, दैनिक उपयोग में आने वाली अनेक वस्तुऐं खनिजों से प्राप्त उत्पादों से निर्मित होती हैं। औद्योगिक विकास के लिए खनिजों की उपलब्धता महत्त्वपूर्ण होती है।

खनिज

खनिज एक निश्चित रासायनिक संगठन वाले भौतिक पदार्थ होते हैं जिन्हें खानों से खोद कर निकाला जाता हैं। जैसे–सीसा, जस्ता, चूना, पत्थर, अभ्रक, कोयला, तांबा, लोहा, खनिज तेल आदि।

खनिजों के प्रकार

धात्विक खनिज– जिन खनिजों में धातु की मात्रा पाई जाती है, उन्हें धात्विक खनिज कहते हैं। इन खनिजों को गला कर नवीन उत्पाद प्राप्त किए जा सकते हैं। ये कठोर होते हैं तथा इनमें चमक होती है।

अधात्विक खनिज– जिन खनिजों में धातु की मात्रा नहीं पाई जाती है, उन्हें अधात्विक खनिज कहते हैं। ये प्रकृति में जैसे मिलते हैं उन्हें वैसे ही उपयोग में लाया जाता है अर्थात् इनमें बदलाव नहीं किया जा सकता है।

ऊर्जा खनिज– जिन खनिजों से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, उन्हें ऊर्जा खनिज कहते हैं जैसे– कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि।

खनिजों के प्रकार

तालिका–2.1

धात्विक	अधात्विक	ऊर्जा
लौह अयस्क, मैंगनीज, सीसा–जस्ता, चाँदी, ताँबा	चूना–पत्थर, जिप्सम, संगमरमर, अभ्रक, रॉक फॉस्फेट, घीयापत्थर, नमक, बलुआ पत्थर	कोयला, खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस

राजस्थान का वॉलेस्टोनाइट, जस्पर, सीसा–जस्ता इत्यादि खनिजों में एकाधिकार है। संगमरमर, ग्रेनाइट, कोटा स्टोन, बलुआ पत्थर, चाँदी, जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, केलसाइट, बालक्ले, घीयापत्थर एवं ताँबा के उत्पादन में भी राज्य अग्रणी है। खनिजों की उपलब्धता एवं उत्पादन में, राजस्थान का अरावली पर्वतमाला क्षेत्र सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है।

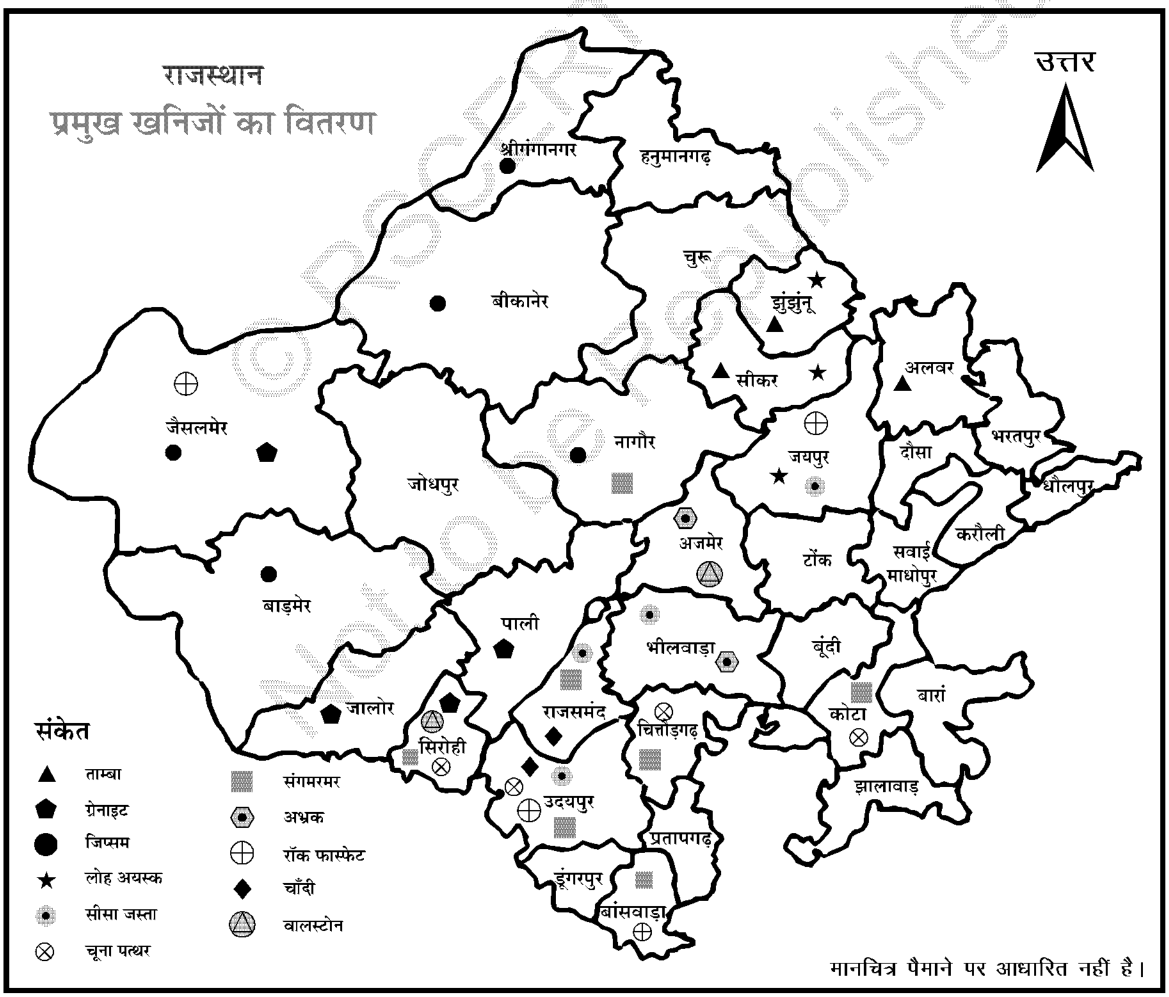
देश का अधिकांश सीसा–जस्ता राजस्थान में उत्पादित होता है। इसके उप–उत्पाद के रूप में चाँदी, केडमियम भी प्राप्त होता है। देबारी (उदयपुर) में जस्ता शोधक सयंत्र तथा चंदेरिया (चित्तौड़गढ़) में सीसा–जस्ता शोधक सयंत्र स्थापित है।

राजस्थान के प्रमुख खनिज, संबधित जिले एवं उपयोग तालिका में दर्शाए गए हैं–

तालिका–2.2

क्र.सं.	खनिज का नाम	खनिज संबंधित जिले	उपयोग
1.	सीसा–जस्ता	उदयपुर (जावर), भीलवाड़ा, राजसमंद	अम्ल बैटरी, सुरक्षा उपकरण, बर्तन, सौंदर्य प्रसाधन, रंग उद्योग
2.	ताँबा	झुंझुनू (खेतड़ी), अलवर, सीकर	विद्युत तार उपकरण, बर्तन
3.	लौह अयस्क	जयपुर, सीकर, झुंझुनू	मशीनरी, रेलवे पटरी, भवन निर्माण
4.	चाँदी	उदयपुर, राजसमंद	आभूषण, सिक्के, सजावटी वस्तुएँ
5.	जिप्सम	बीकानेर, नागौर, श्रीगंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर	रासायनिक उर्वरक, प्लास्टर ऑफ पेरिस, सीमेंट
6.	रॉक फॉस्फेट	उदयपुर, जैसलमेर, बाँसवाड़ा, जयपुर	रासायनिक उर्वरक
7.	अभ्रक	भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर	विद्युत उद्योग, सजावट, दर्पण
8.	वोलेस्टोनाइट	सिरोही, अजमेर	सिरेमिक उद्योग, कागज उद्योग, रंग उद्योग

9.	संगमरमर	राजसमंद, नागौर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सिरोही, कोटा	भवन निर्माण, मूर्ति निर्माण, कलाकृतियाँ
10.	चूना पत्थर	चित्तौड़गढ़, सिरोही, कोटा, उदयपुर	सीमेंट बनाने में, निर्माण कार्य में
11.	ग्रेनाइट	जालौर, जैसलमेर, पाली, सिरोही	भवन निर्माण, मूर्ति निर्माण



मानचित्र 2.1

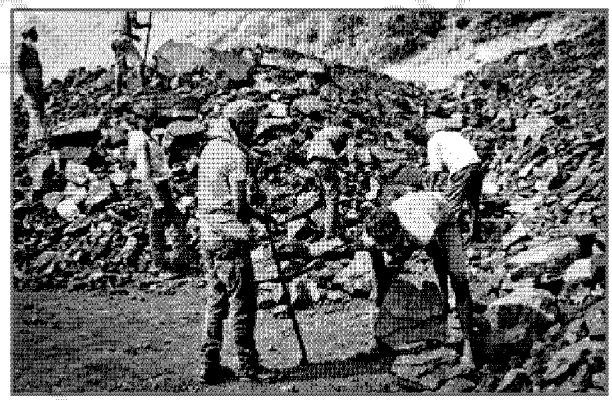
ऊर्जा संसाधन

ऊर्जा संसाधनों को दो भागों में विभाजित किया गया है–

1. परंपरागत ऊर्जा संसाधन
2. गैर–परंपरागत ऊर्जा संसाधन

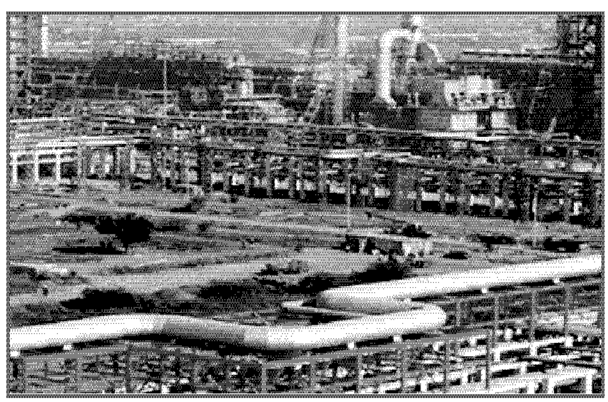
ऊर्जा के परम्परागत संसाधनों में कोयला, खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस इत्यादि आते हैं। ये एक बार उपयोग में ले लेने पर, सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं। ऊर्जा के गैर परम्परागत संसाधनो में परमाणु ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोमास इत्यादि आते हैं। इनका उपयोग बार–बार किया जा सकता है।

ऊर्जा के परम्परागत संसाधन



चित्र 2.1 : कोयले की खान

कोयला– कोयला चार प्रकार का होता है– एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट एवं पीट। एंथ्रेसाइट कोयला उत्तम किस्म का होता है। राजस्थान में लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। यह कोयला पलाना, बरसिंगसर (बीकानेर), कपूरड़ी (बाड़मेर), मेड़ता रोड़ (नागौर) जैसलमेर क्षेत्र में मिलता है। राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पॉवर स्टेशन 'सूरतगढ़', श्रीगंगानगर में है। कोटा, कालीसिन्ध (झालावाड़), छबड़ा (बारां) में कोयले पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र है। बाड़मेर के गिरल में लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र है।



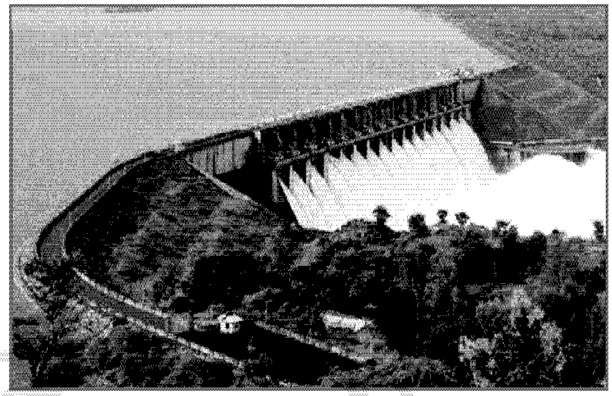
चित्र 2.2 : बाड़मेर रिफाइनरी

खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस– जैसलमेर बेसिन, बाड़मेर सांचोर बेसिन, बीकानेर–नागौर बेसिन में खनिज तेल पाया जाता है। घोटारू, कमलीताल, तनोट, मनिहारी टिब्बा, रामगढ़, राजेश्वरी, डांडेवाला आदि में प्राकृतिक गैस के भंडार मिलते हैं। सादेवाला (जैसलमेर), बाघेवाला (बीकानेर), ऐश्वर्या, मंगला (बाड़मेर) में खनिज तेल पाया जाता है। जैसलमेर में रामगढ़, बांरा में अंता, धौलपुर में प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत गृह है।

गतिविधि

बाड़मेर रिफाइनरी को राजस्थान के मानचित्र में प्रदर्शित करें।

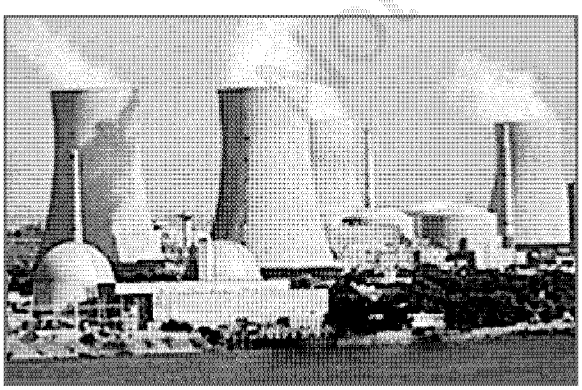
जल विद्युत– जल विद्युत का ऊर्जा संसाधन में प्रमुख स्थान है। राजस्थान में, चंबल नदी घाटी परियोजना के अन्तर्गत गाँधीसागर, राणाप्रताप सागर से जल विद्युत उत्पन्न की जा रही है। बाँसवाड़ा जिले में माही बजाज सागर परियोजना से भी जल विद्युत की प्राप्ति हो रही है। कुछ बहु उद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से भी राजस्थान को विद्युत उत्पादन में हिस्सा प्राप्त हो रहा है। जैसे– भाखड़ा नांगल, व्यास परियोजना।


चित्र 2.3 : माही बजाज सागर बाँध

ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन

1. परमाणु ऊर्जा– रावतभाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र देश का दूसरा परमाणु विद्युत संयंत्र है, जो चित्तौड़गढ़ जिले के रावतभाटा में स्थित है। यह पहला, अत्याधुनिक तकनीक एवं प्रौद्योगिकी से बनाया गया संयंत्र है।

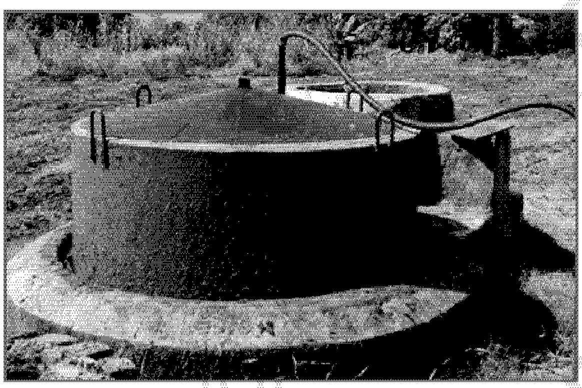
2. पवन ऊर्जा– राजस्थान का भौतिक स्वरूप एवं जलवायु, पवन ऊर्जा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। वर्तमान में जैसलमेर, प्रतापगढ़, जोधपुर, बाड़मेर जिलों में पवन आधारित विद्युत गृह स्थापित हैं।

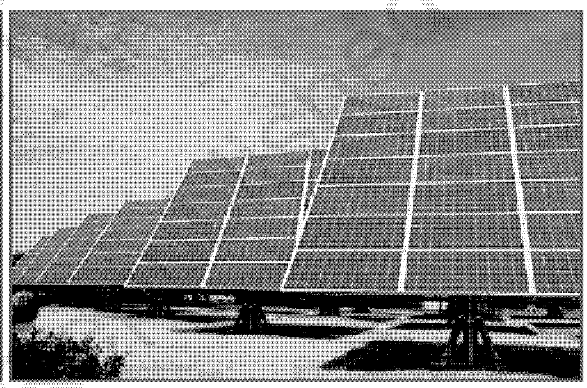

चित्र 2.4 : रावतभाटा, परमाणु केन्द्र


चित्र 2.5 : पवन चक्की

3. बायोगैस– राजस्थान में पशुपालन प्रमुख व्यवसाय होने के कारण बायोगैस संयंत्र लगाये गए हैं। उदयपुर, जयपुर सहित अनेक जिलों में छोटे–छोटे बायोगैस संयंत्र स्थापित किये गए हैं। राजस्थान सरकार द्वारा बायोगैस संयंत्र स्थापित करने हेतु अनुदान भी दिया जाता है। इसका उपयोग घरेलू ऊर्जा के रूप में हो रहा है।

4. सौर ऊर्जा– राजस्थान एक गर्म प्रदेश है, अतः सौर ऊर्जा का अधिकतम उपयोग सम्भव है। इससे सौर ऊर्जा उत्पादन की संभावना बढ़ जाती है। सौर ऊर्जा का उपयोग ऊर्जा संयंत्र, स्ट्रीट लाइट, सोलर कुकर, वाटर हीटर्स आदि में किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा, सौर ऊर्जा चलित, छत सौर ऊर्जा संयत्रों एवं घरेलू उपकरणों पर वित्तीय सहायता देकर, इनके उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। भाडला (जोधपुर) में देश के सबसे बड़े सोलर पार्क की स्थापना की गई है।


चित्र 2.6 : बायो गैस संयत्र


चित्र 2.7 : सोलर पैनल

हमारे पास खनिज संसाधन एवं परंपरागत ऊर्जा संसाधन सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। लाखों वर्षों की भूगार्भिक प्रक्रिया द्वारा खनिज बनते हैं। हमें खनिजों के अनियमित दोहन पर नियन्त्रण करना चाहिए। ऊर्जा के प्रयोग में सावधानी बरतनी चाहिए और इसके अपव्यय को रोकना चाहिए।

शब्दावली

सौर ऊर्जा – सूर्य से प्राप्त ऊर्जा।

अयस्क – प्राकृतिक रूप से पाये जाने वाला पदार्थ जिससे धातु प्राप्त की जा सकती है।

अभ्यास प्रश्न

I. निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर के विकल्प को कोष्ठक में लिखिए–

1. धात्विक खनिज समूह की पहचान कीजिए–

   (अ) सीसा, ताँबा, लौहा (ब) सीसा, संगमरमर, जिप्सम

   (स) ताँबा, मैंगनीज,चूना पत्थर (द) ग्रेनाइट, ताँबा, अभ्रक ( )

2. चंदेरिया सीसा–जस्ता शोधक यंत्र किस जिले में स्थापित है ?

   (अ) चित्तौड़गढ़ (ब) जयपुर

   (स) जैसलमेर (द) नागौर ( )

II. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए–

1. .... प्रकार का कोयला श्रेष्ठ होता है।
2. ऊर्जा के परंपरागत संसाधन ....है।

III. अतिलघूत्तरात्मक प्रश्न–

1. ऊर्जा के गैर–परंपरागत संसाधनों के नाम लिखिए।
2. दो धात्विक खनिजों के नाम बताते हुए उनके संबंधित जिले लिखिए।

III. लघूत्तरात्मक प्रश्न–

1. खनिज किसे कहते हैं ? इनका महत्त्व समझाइए।
2. सौर ऊर्जा पर टिप्पणी लिखिए।

गतिविधि

प्रत्येक विद्यार्थी एक खनिज का नाम बताएँ तथा उन खनिजों से सम्बन्धित जिलों को राजस्थान के मानचित्र पर दर्शाएँ।

अध्याय 3

कृषि एवं सिंचाई

M8A1J6

होली की छुट्टियों में मनोज अपने पापा मम्मी के साथ अपने गाँव जा रहा था। रास्ते में चारों तरफ खेतों में फसलें खड़ी थीं। मनोज ने उत्सुकता से पापा से पूछा, "यह कौन सी फसल है?" पापा ने बताया "यह गेहूँ की फसल है। गाँव में अधिकांश लोग खेती करते हैं, जिनको किसान या कृषक कहते हैं। किसान फसल बोता है, देखभाल करता है एवं उसका उत्पादन करता है। खाद्यान्न हमारे भोजन का मुख्य अंग है।

कृषि का महत्त्व

कृषि एक प्राथमिक व्यवसाय है। फसल उगाकर खाद्यान्न एवं अन्य उत्पाद पैदा करना कृषि कहलाता है। राज्य की लगभग दो तिहाई जनसंख्या का मुख्य व्यवसाय कृषि है। राज्य की अधिकांश जनसंख्या कृषि एवं कृषि से संबंधित कार्य करके ही, अपनी रोजी–रोटी कमाती है। कृषि से उद्योगों को कच्चा माल मिलता है और साथ ही राज्य की आत्मनिर्भरता बढ़ती है।

प्रमुख फसलें

प्रत्येक फसल को एक निश्चित तापमान, पानी की मात्रा, मृदा एवं जलवायु की आवश्यकता होती है। अतः मौसम के अनुसार अलग–अलग फसल बोई जाती है।

मौसम के आधार पर फसलें

रबी	खरीफ	जायद
गेहूँ, सरसों, चुकन्दर, चना, जौ आदि	बाजरा, ग्वार, मक्का, चावल, मूंग, मोठ, तिल, ज्वार, मूंगफली, कपास, गन्ना आदि	फल, खरबूजा, तरबूज, सब्जी, ककड़ी आदि
बुआई– अक्टूबर, नवम्बर	**बुआई**– जुलाई	**बुआई**– अप्रैल
कटाई– मार्च, अप्रैल	**कटाई**– अक्टूबर, नवम्बर	**कटाई**– जून

जिन फसलों के उत्पाद से तेल निकाला जाता है, उन्हें तिलहन कहते हैं जैसे– तिल, मूँगफली, सरसों आदि। जिन फसल उत्पादों से दालें बनायी जाती हैं, उन्हें दलहन कहते हैं जैसे– मूँग, मोठ, चना आदि।

उपयोग के आधार पर फसलें दो प्रकार की होती हैं–

- **खाद्यान्न फसलें**– जिन फसलों के उत्पाद भोजन के लिए उपयोग में लिए जाते हैं, वे खाद्यान्न फसलें कहलाती हैं। जैसे– गेहूँ, जौ, ज्वार, मक्का, चावल, दालें आदि।
- **व्यापारिक फसलें**– जिन फसलों का उत्पादन केवल व्यवसाय के लिए किया जाता है, उन्हें व्यापारिक फसलें कहते हैं। जैसे–कपास, गन्ना, तम्बाकू, तिलहन आदि।

राजस्थान में कई बार वर्षा की कमी से अकाल पड़ जाता है। कभी वर्षा की अधिकता से बाढ़ आ जाती है। इन कारणों से फसलों का उत्पादन कम हो जाता है। अतः खाने की वस्तुओं को जूठा छोड़ कर बर्बाद नहीं करना चाहिए।



चित्र 3.1 : सरसों का खेत

राजस्थान में बोई जानी वाली प्रमुख फसल एवं उत्पादक जिले

1. **गेहूँ**– यह रबी की फसल है। राजस्थान में इसे शीतकाल में उगाया जाता है। राजस्थान के प्रमुख गेहूँ उत्पादक जिले श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, बारां, भरतपुर इत्यादि हैं।
2. **जौ एवं ज्वार**– ये शुष्क एवं अर्द्ध शुष्क जलवायु की फसलें हैं। जौ का उत्पादन जयपुर, श्रीगंगानगर, सीकर, अलवर, भीलवाड़ा, अजमेर, झुंझुनू, नागौर इत्यादि जिलों में किया जाता है। ज्वार का उत्पादन अजमेर, पाली, भीलवाड़ा, भरतपुर, जयपुर इत्यादि जिलों में होता है।

3. **मक्का**– मक्का राजस्थान का, विशेषकर मेवाड़ का प्रमुख भोजन है। मक्का से ही पॉप कॉर्न, कॉर्न फ्लेक्स इत्यादि खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। भीलवाडा, उदयपुर, बाँसवाडा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद आदि प्रमुख मक्का उत्पादक जिले हैं।

4. **बाजरा**– राजस्थान की जलवायु बाजरे के लिए उपयुक्त है। यह कम वर्षा, उच्च तापमान तथा उपजाऊ बलुई मिट्‌टी में उगाया जाता है। यह राजस्थान का प्रमुख खाद्यान्न है। बाजरे के उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। अलवर, जयपुर, सीकर, नागौर, जोधपुर जिलों में बाजरे का उत्पादन किया जाता है।

5. **चना**– चना रबी की प्रमुख फसल है। चने का उत्पादन बीकानेर, जैसलमेर, अजमेर, जयपुर, पाली जिलों में होता है। चने के अलावा मूँग, मोठ, उड़द और अरहर अन्य दलहन हैं, जो राज्य में उत्पादित होते हैं।

6. **सरसों**– राजस्थान, देश का सर्वाधिक सरसों उत्पादक राज्य है। ये रबी की फसल है। सरसों के प्रमुख उत्पादक जिले अलवर, टोंक, भरतपुर, श्रीगंगानगर, सवाई माधोपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, जोधपुर, बारां हैं।

इन मुख्य फसलों के अलावा, राजस्थान में चावल, कपास, ईसबगोल, राई, अलसी, गन्ना इत्यादि फसलें भी बोई जाती हैं। राजस्थान का बाजरा, ईसबगोल, सरसों, ग्वार, मोठ व जीरे के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है।

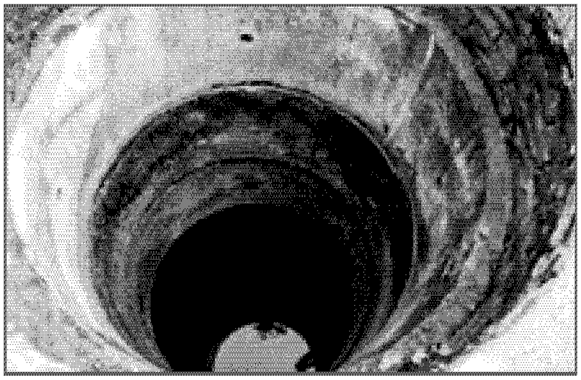
यह भी जानें

राजस्थान राज्य के श्रीगंगानगर जिले में सूरतगढ़ में एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म स्थित है।

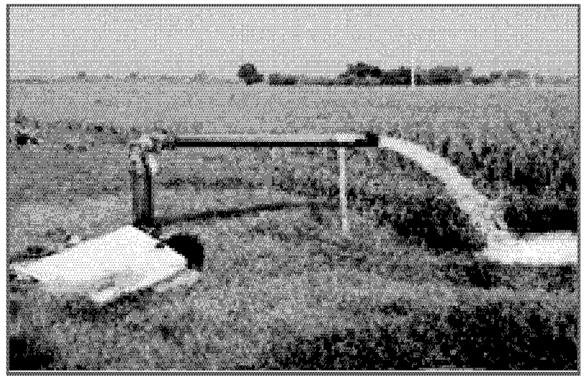
सिंचाई के साधन

फसल के उत्पादन के लिए पानी की आवश्यकता होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में शुष्क कृषि एवं अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में आर्द्र कृषि की जाती है। सिंचाई की सहायता से फसलों का उत्पादन सिंचित कृषि कहलाता है। विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न–भिन्न प्रकार के सिंचाई के साधन काम में लिए जाते हैं। राज्य में सिंचाई के प्रमुख साधन कुएँ एवं नलकूप, नहरें, तालाब इत्यादि हैं।

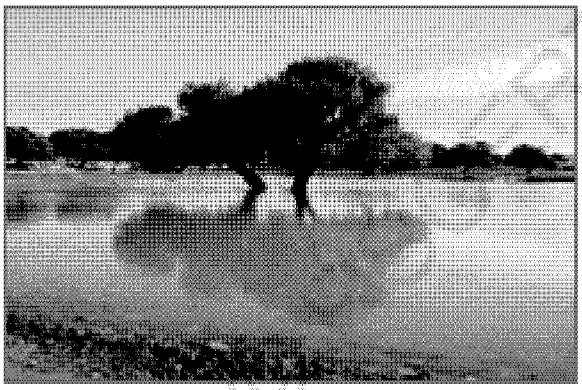
राजस्थान में सिंचाई के साधनों में से सर्वाधिक सिंचाई नलकूप से की जाती है। जयपुर, भरतपुर, अलवर, दौसा, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, अजमेर आदि जिलों में इन साधनों से सिंचाई की जाती है।



चित्र 3.2 : कुआँ



चित्र 3.3 : नलकूप



चित्र 3.4 : तालाब

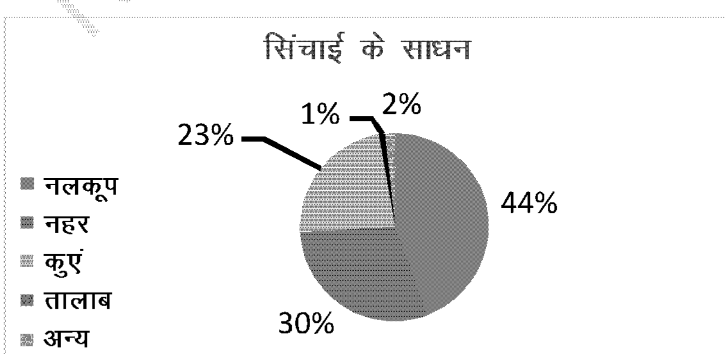


चित्र 3.5 : नहर

राजस्थान में इन्दिरा गाँधी नहर से श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर जिलों में नहरी सिंचाई की जाती है। भीलवाड़ा, बूँदी, कोटा, अलवर, टोंक, चित्तौड़गढ़, बाँसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, अजमेर, जोधपुर, पाली, जालोर इत्यादि जिलों में भी नहरी सिंचाई होती है।

राजस्थान में सकल सिंचित क्षेत्र का सिंचाई के साधनों के अनुसार वर्गीकरण

2016–2017–



भूजल के अत्यधिक उपयोग से, भूमिगत जल का स्तर नीचे जा रहा है। वर्षा जल के संरक्षण एवं प्राकृतिक जल स्रोत के पुनरुद्धार की आवश्यकता है। कुएँ एवं नलकूपों से की जाने वाली सिंचाई अगर फव्वारा के माध्यम से एवं बूँद–बूँद सिंचाई पद्धति से की जाए तो जल की बचत होती है। धोरे एवं नहरें अगर पक्की बना ली जाए, तो उनसे भी जल की बचत होती है।

यह भी जानें

वाटरमैन–जलपुरुष के नाम से प्रसिद्ध राजेन्द्र सिंह भारत के प्रसिद्ध, पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। वे जल संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने नौकरी छोड़कर और घर का सामान बेचकर राजस्थान जैसे राज्य को जल संकट से उबारने के लिए काम किया। उन्हें ''रमन मैगसेसे'' पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया।

शब्दावली

कृषि – फसल उगाकर खाद्यान्न एवं अन्य उत्पाद पैदा करना कृषि कहलाता है।

रबी – अक्टूबर–नवम्बर में बोई जाकर मार्च–अप्रैल में काटी जाने वाली फसल ।

खरीफ – जुलाई में बोई जाकर अक्टूबर–नवम्बर में काटी जाने वाली फसल।

अभ्यास प्रश्न

I. निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर के विकल्प को कोष्ठक में लिखिए–

1. रबी की फसलों के समूह की पहचान कीजिए–

(अ) बाजरा, सरसों, चावल (ब) मक्का, गेहूँ, ग्वार

(स) मूंगफली, तिल, कपास (द) गेहूँ, चना, सरसों ( )

2. जल संरक्षण हेतु सिंचाई की उत्तम विधि है–

(अ) नहरों द्वारा (ब) खुले धोरों द्वारा

(स) बूंद–बूंद सिंचाई एवं फव्वारे द्वारा (द) तालाब द्वारा ( )

II. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए–

1. राजस्थान में 1. .... 2. .... 3. .... फसलें होती हैं।

2. एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म राजस्थान के .... में स्थित है।

III. अतिलघूत्तरात्मक प्रश्न–

1. राजस्थान में सिंचाई के कौन–कौन से साधन हैं ?

2. राजस्थान में बाजरे का उत्पादन करने वाले जिलों के नाम लिखिए।

IV. लघूत्तरात्मक प्रश्न–

1. खाद्यान्न फसलें किसे कहते हैं ? उदाहरण देते हुए समझाइए।

2. दलहन एवं तिलहन से आप क्या समझते हैं ?

गतिविधि

कक्षा का प्रत्येक विद्यार्थी एक फसल के बारे में जानकारी एकत्रित करे एवं लिखे।

अध्याय 4

राजस्थान में कृषि विपणन

X3E7M7

नाथू एक किसान है, जिसने अपने खेत पर मूंग की फसल पैदा की है। पिछले वर्ष मूंग की कीमत बहुत अधिक थी। अतः क्षेत्र के सभी किसानों ने मूंग की फसल ही बोयी। परिणाम यह हुआ कि, अब मूंग की पैदावार अधिक होने से, उसे बेचने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय स्तर पर, उसने फसल को बेचने के काफी प्रयास किए। यदि कोई फसल खरीदने को तैयार भी होता है, तो दाम बहुत कम देना चाहता है। इससे नाथू काफी परेशान है।

इस समस्या का नाथू जैसे कई किसान सामना करते हैं। फसल की अच्छी पैदावार होने पर, उन्हें अपनी उपज का सही दाम नहीं मिल पाता है। इसके लिए सरकार द्वारा कृषि उपज मंडियों की व्यवस्था की गई है।

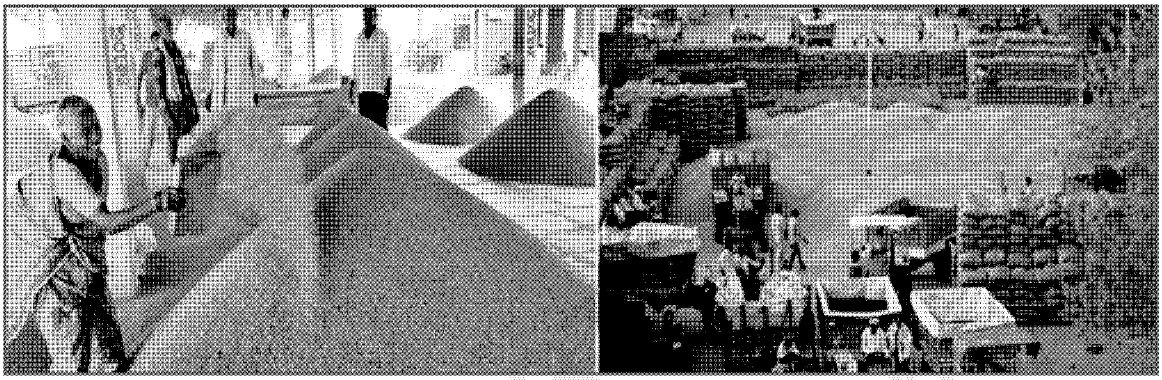
राजस्थान में कृषि उपज मंडी

कृषि उपज मंडी एक बाज़ार है, जहाँ कृषि उपज को खरीदा और बेचा जाता है। किन्तु यह सामान्य बाजारों से अलग है। यह बाजार न केवल कृषि जिन्सों की बिक्री और खरीद की सुविधा प्रदान करता है, बल्कि क्षेत्रीय विकास और ग्रामीण कल्याण में भी मदद करता है। इन बाजारों के माध्यम से किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य दिलाने का प्रयास किया जाता है। ये बाज़ार नियमों के आधार पर संचालित होते हैं, इसलिए इन्हें विनियमित बाज़ार भी कहा जाता है। इन बाजारों का विनियमन कृषि 'विपणन बाज़ार समिति' द्वारा किया जाता है।

हमारे राज्य में, इस प्रकार की सभी मंडियों की स्थापना तथा विकास के लिए 'राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड' की स्थापना, वर्ष 1974 में की गई थी। ये बाज़ार बिचौलियों से किसानों का बचाव कर उचित मूल्य पर उनकी उपज को बेचने की सुविधा प्रदान करते हैं। किसान इन बाजारों में अपनी फसल ले जाते हैं, जिसकी बोली लगाई जाती है। उसके पश्चात् सही दामों पर किसान उसे बेच पाते हैं। बड़ी मंडियों में तो दैनिक बाज़ार भावों की जानकारी देने के लिए, उपज के मूल्य लाउड स्पीकर के माध्यम से प्रसारित किए जाते हैं, ताकि किसान सही मूल्य पर सौदा कर सकें। अब तो सरकार ने कई मंडियों को ऑनलाइन कर दिया है, जिससे उपज के मूल्य कभी भी पता किये जा सकते हैं।

किसानों की सहायता के लिए मंडी में आढ़तिये भी होते हैं। कुछ आढ़तिये, जिन्हें कच्चे आढ़तिये कहा जाता है, किसानों की उपज को मंडी में बनी अपनी दुकानों पर बेचते हैं और अपनी आढ़त या कमीशन काटकर किसान को उसकी उपज के मूल्य का भुगतान कर देते हैं। कुछ पक्के आढ़तिये भी होते हैं जो इन कच्चे आढ़तियों से थोक व्यापारियों या मिल वालों के लिए उपज का

क्रय करते हैं। मंडियों में खरीददारों से बाज़ार शुल्क तथा मध्यस्थों से लाइसेंस शुल्क वसूल किया जाता है। यह शुल्क इन मंडियों की आय होती है, जिसका प्रयोग इनमें किसानों के लिए अन्य सुविधाएँ उपलब्ध करवाने हेतु किया जाता है।



चित्र 4.1 : मंडी का चित्र

गतिविधि

मंडियों में किसानों को कौन–कौनसी सुविधाएँ दी जाती हैं? पता लगाइए।

राज्य में नियमन के लिए कृषि जिंसों जैसे– अनाज, दलहन, तिलहन, कपास, लघु वनोपज आदि को अधिसूचित किया गया है। राज्य की जोधपुर मंडी जीरे तथा कोटा की रामगंज मंडी धनिया तथा मेथी के लिए विश्व प्रसिद्ध है।

गतिविधि

आपके क्षेत्र की किसी मंडी में जाइए एवं वहाँ होने वाले क्रियाकलापों को देखिए एवं कक्षा में चर्चा कीजिए?

कृषि मंडी में किसान को क्रेता (खरीददार) नहीं मिलते, तो किसान को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे में सीधे सरकार द्वारा उपज को ''न्यूनतम समर्थन मूल्य'' पर किसान से खरीद लिया जाता है। इस प्रकार सरकार द्वारा किसान को उसकी उपज का सही मूल्य दिलवाने का प्रयास किया जाता है।

यह भी जानें

- **कृषि विपणन**– कृषि विपणन के अन्तर्गत वे सभी गतिविधियां या सेवाएँ आती हैं जो कृषि उपज को खेत से लेकर उपभोक्ता तक पहुँचाने में करनी पड़ती हैं जैसे– परिवहन, प्रसंस्करण, भंडारण, ग्रेडिंग आदि।
- **कृषि उपज मंडी**– किसानों की कृषि उपज के भण्डारण और विक्रय के लिए चुने हुए कृषकों की सरकार द्वारा वित्त–पोषित स्वयात्तशासी समिति है, जो बिचौलियों के शोषण से किसान को बचाते हुए तोल और मोल दोनों का किसान हित में ख्याल रखती है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली

जैसा कि आपने जाना, सरकार नियमित कृषि बाजारों के माध्यम से उत्पादकों अर्थात् किसानों को उचित मूल्य दिलाने का प्रयास करती है, किन्तु सरकार का एक उद्देश्य यह भी होता है कि, आम उपभोक्ताओं तक ये उपज एवं अन्य खाद्य वस्तुएँ सही दामों में पहुँचें। इसके लिए सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था की है। इसमें किसानों से सरकार द्वारा खरीदी कुछ उपजों, विशेषकर अनाज को उचित मूल्य की दुकानों या राशन की दुकानों के माध्यम से, गरीब उपभोक्ताओं तक पहुँचाने का प्रयास किया जाता है। इससे खाद्य सुरक्षा के लक्ष्य की पूर्ति में सहायता प्राप्त होती है। यह कार्य खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामला विभाग द्वारा किया जाता है।

यह भी जानें

- **सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस)**– यह वह तंत्र या प्रणाली है जो देश में खाद्यान्न की आपूर्ति और बड़ी संख्या में गरीब लोगों को उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से आवर्ती आधार पर रियायती मूल्य पर खाद्यान्न वितरण की सुविधा प्रदान करती है।
- **उचित मूल्य की दुकान**– सरकारी दुकान जो चावल, मिट्टी के तेल, गेहूं आदि जैसी आवश्यक वस्तुओं को नियंत्रित या उचित कीमतों पर आम आदमी को उपलब्ध कराती है।



चित्र 4.2 : उचित मूल्य की दुकान का चित्र

उचित मूल्य की दुकानों के नेटवर्क स्थापित करना, खाद्यान्नों का आवंटन व वितरण, राशन कार्ड जारी करना, उचित मूल्य की दुकानों के कामकाज का पर्यवेक्षण एवं निगरानी आदि की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। उचित मूल्य की दुकानों के नेटवर्क के माध्यम से गेहूँ, चावल, चीनी एवं केरोसीन जैसी आवश्यक वस्तुओं का वितरण, मासिक आधार पर नियमित रूप से किया जाता है। वर्तमान में प्रत्येक जिले में राज्य की उचित मूल्य की दुकानों पर, पॉइन्ट ऑफ सेल (पीओएस) मशीन द्वारा उपभोक्ताओं को बायोमैट्रिक सत्यापन के उपरान्त, राशन सामग्री का वितरण किया जा रहा है। इससे न केवल सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की सामग्री की कालाबाजारी पर अंकुश लगा है, बल्कि लक्षित लाभार्थियों तक सामग्री की पहुँच सुनिश्चित हो सकी है।

गतिविधि

यह पता लगाइए कि आपके क्षेत्र में उचित मूल्य की दुकान पर कौन–कौन सी वस्तुएँ किस कीमत पर मिल रही हैं।

इस अध्याय मे आपने जाना कि, हमारे राज्य में किसान कृषि उपज को मंडियों में बेचते हैं। सरकार किसान को उनकी उपज का उचित मूल्य देने के पश्चात् भी, राज्य के निर्धन वर्गों तक खाद्यान्नों को सही कीमत पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से पहुँचाती है। इस प्रकार सरकार द्वारा किसानों एवं उपभोक्ता दोनों के हितों की रक्षा की जाती है।

शब्दावली

विपणन – वस्तुओं का क्रय–विक्रय।

क्रेता – खरीददार।

न्यूनतम समर्थन मूल्य– सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य, जिस पर किसानों द्वारा बेचे जाने वाले माल को खरीदने हेतु सरकार तैयार रहती है।

अभ्यास प्रश्न

I. निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर के विकल्प को कोष्ठक में लिखिए–

1. कृषि विपणन बोर्ड मदद करता है–
   (अ) किसान की (ब) शिक्षक की
   (स) विद्यार्थी की (द) पशुपालक की ( )
2. कृषि उपज मण्डी में मध्यस्थों से वसूला जाता है–
   (अ) बाजार शुल्क (ब) लाइसेंस शुल्क
   (स) सेवा शुल्क (द) परीक्षा शुल्क ( )

II. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए–

1. मंडियों की स्थापना तथा विकास के लिए राजस्थान में .... की स्थापना 1974 ई. में की गई।
2. सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा ....को खाद्य वस्तुएँ सही दाम में मिलती हैं।

III. अतिलघूत्तरात्मक प्रश्न –

1. राज्य में नियमन के लिए किन कृषि जिंसों को अधिसूचित किया गया है?
2. राज्य की कोई दो कृषि उपज मंडियों के नाम बताइए जो विश्व प्रसिद्ध हैं।

IV. लघूत्तरात्मक प्रश्न –

1. कृषि उपज मंडियों से आप क्या समझते हैं ? इन मंडियों की क्या आवश्यकता है?
2. राजस्थान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को समझाइए।

अध्याय 5

राजस्थान में व्यापार

T9G6F8

राजस्थान के आर्थिक विकास में, कृषि के साथ–साथ उद्योग एवं व्यापार का भी महत्त्वपूर्ण स्थान है। हमारे राज्य में, इन उद्योगों की स्थिति एवं औद्योगिक उत्पादों के आयात–निर्यात से सम्बन्धित जानकारी आप इस अध्याय में पढ़ेंगे।

कृषि आधारित उद्योग

अधिकांश उद्योग कृषि आधारित होते हैं। इन उद्योगों को दो श्रेणी में विभक्त किया जाता है– 1. वृहद् उद्योग (बड़े उद्योग) 2. लघु एवं कुटीर उद्योग

1. कृषि आधारित बड़े उद्योग

राजस्थान में कृषि आधारित बड़े उद्योगों में, मुख्यतया सूती वस्त्र उद्योग तथा चीनी या शक्कर उद्योग सम्मिलित है। सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान का प्राचीन, परम्परागत, संगठित एवं सर्वाधिक रोजगार देने वाला सबसे बड़ा, कृषि आधारित उद्योग है। इसके लिए कपास की खेती की जाती है। जब कपास पक जाते हैं, तो उसे बीज से अलग कर रोएं निकाल लिए जाते है। रुई की छोटी–छोटी गुच्छी बनाकर चरखे पर काती जाती हैं, जिससे सूत के धागे प्राप्त होते हैं। इन धागों को रंग कर ताने बनाए जाते हैं, फिर ताने को खड्डी पर, चढ़ाकर कपड़ा बनाया जाता है। बड़े उद्योगों में इसका उत्पादन मशीनों से, बड़े स्तर पर किया जाता है।

राजस्थान में पहली सूती वस्त्र मिल ''द कृष्णा मिल्स लिमिटेड'' की स्थापना ब्यावर में वर्ष 1889 में की गई थी। ब्यावर, भीलवाड़ा, जयपुर, किशनगढ़, पाली, हनुमानगढ़, कोटा, गंगानगर, विजयनगर आदि में सूती वस्त्र की मिलें स्थापित हैं। वर्तमान में भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है ।

दूसरा बड़ा कृषि आधारित उद्योग चीनी का है। अधिकांशतः, चीनी मिलें गन्ना उत्पादन क्षेत्रों के पास स्थापित की जाती है, जिससे कच्चा माल उपलब्ध होने में समय व धन दोनों की बचत हो जाती है। इन मिलों में गन्ने के रस द्वारा वृहद स्तर पर शक्कर निर्माण का कार्य किया जाता है।

2. कृषि आधारित लघु एवं कुटीर उद्योग

राज्य में कृषि आधारित लघु उद्योग, मुख्यतया खाद्य तेल, गुड़, खांडसारी एवं दाल उद्योग हैं। खाद्य तेल के कारखाने जयपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, श्रीगंगानगर, कोटा, बूंदी, अजमेर तथा पाली जिले में हैं। यहाँ पर्याप्त मात्रा में तिलहन का उत्पादन होता है। राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, राज्य में खादी के साथ अन्य कुटीर उद्योगों के प्रबंधन का भी कार्य करता है। इनमें

सूती खादी, खादी सिल्क, घाणी तेल, गुड़ तथा खांडसारी, शहद आदि से संबंधित उद्योग, कृषि आधारित हैं। ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार प्रदान करने तथा लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने हेतु, इन उद्योगों को बढ़ावा देना बहुत आवश्यक है एवं सरकार इसके लिए निरंतर प्रयासरत है।

आयात–निर्यात

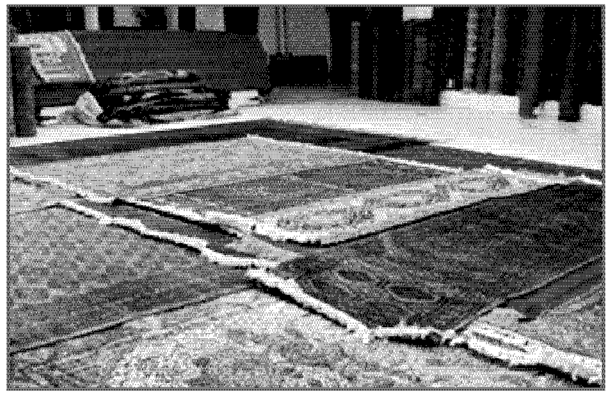
प्रत्येक वस्तु का उत्पादन एक विशेष भौगालिक एवं पर्यावरणीय परिस्थितियों में होता है। इनके उत्पादन हेतु विशेष प्राकृतिक संसाधनों, अन्य संसाधनों व कई बार विशेष तकनीक की भी आवश्यकता होती है, जो हर राज्य के पास उपलब्ध हो, यह जरूरी नहीं है। अतः किसी स्थान विशेष में जिन वस्तुओं का उत्पादन बहुतायत में होता है, उसे अन्य स्थानों पर बेचा जाता है एवं जिन वस्तुओं का उत्पादन कम होता है, उसे अन्य स्थानों से खरीदा जाता है। इस प्रकार वस्तुओं का विनिमय व्यापार कहलाता है। अतः यह कहा जा सकता है कि, अन्य देश या राज्य से वस्तुओं को मंगवाना आयात कहलाता है एवं वस्तुओं को अन्य देश या राज्य में भेजना निर्यात कहलाता है।

> **यह भी जानें**
>
> **प्रसंस्करण (Processing)-** वह प्रक्रिया, जिसके द्वारा कृषि उत्पादों, विशेषकर वे उत्पाद जो शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं, को खाद्य पदार्थ के रूप में रूपांतरित किया जाता है जिससे कि उनका लम्बे समय तक उपयोग हो सके।

हमारे राज्य में जो वस्तुएँ उत्पादित होती हैं, चाहे वो कृषि उत्पाद हों, वनोत्पाद हों या औद्योगिक उत्पादन, राज्य में एक जगह से दूसरी जगह भेजी जाती हैं। जब व्यापार एक राज्य का अन्य राज्य से व्यापार हो तो यह अंतरराज्यीय व्यापार कहलाता है। जब यह व्यापार एक देश का अन्य देश के साथ होता है तो, इसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं।

राजस्थान सरसों एवं ग्वार, अजवाइन, धनिया, मेथी, ईसबगोल, ऊन के उत्पादन में अग्रणी है। जीरा व मोटे अनाज, सोयाबीन, दालों तथा तिलहन, सब्जियों, लहसुन, संतरे व दुग्ध के उत्पादन में भी राज्य का प्रमुख योगदान है। इनमें से कई वस्तुओं को इसी रूप में व कुछ को प्रसंस्कृत रूप में राज्य से बाहर भेजा जाता है। फल–सब्जी, डेयरी उत्पाद का प्रसंस्करण किया जाता है जिसे आप पैकेट बन्द भोजन, पेय पदार्थों के रूप में उपयोग करते हैं।

> **गतिविधि**
>
> शिक्षक की सहायता से प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की सूची बनाइए।



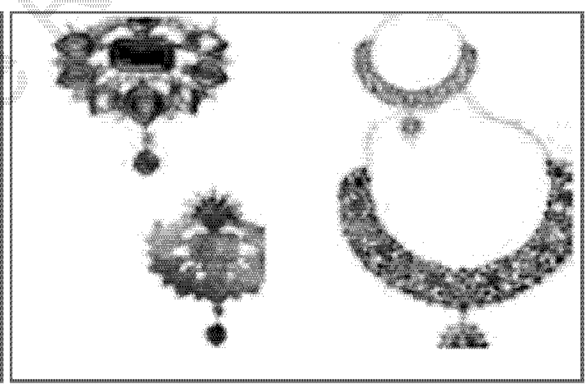
चित्र 5.1 : कालीन

राज्य में मुख्य रूप से ज्वार एवं बाजरा, तिलहन, कच्चा सूत, खली, संगमरमर और पत्थर, बाँस, सरसों का तेल, निर्मित सूत राजस्थान से निर्यात किये जाते हैं। इन वस्तुओं का राजस्थान शुद्ध रूप से आपूर्तिकर्ता है। जबकि चावल, मिट्टी के तेल, खनिज तेल, बिजली के सामान, मशीनरी, परिवहन उपकरणों आदि का आयात किया जाता है।

राजस्थान से कई वस्तुएँ दूसरे देशों को भी निर्यात की जाती हैं। इनमें मुख्य रूप से कपड़ा, जवाहरात एवं आभूषण, संगमरमर पत्थर, ग्रेनाइट तथा अभ्रक, पत्थर की वस्तुएं, ऊन एवं ऊनी कपड़े, रासायनिक एवं संबद्ध उत्पाद, हस्तशिल्प, चमड़ा एवं चर्म उत्पाद, तैयार वस्त्र, अभियांत्रिकी, कृषि एवं खाद्य उत्पाद, दरियाँ एवं कालीन, इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर आदि सम्मिलित हैं। राज्य कई वस्तुओं के उत्पादन में अग्रणी है तथा यहाँ निर्यात की कई संभावनाएँ हैं, इसलिए सरकार ने निर्यात संवर्धन हेतु कई योजनाएँ लागू की हैं। 'राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना' के तहत श्रेष्ठ 35 निर्यातकों को पुरस्कृत किया जाता है।'निर्यात प्रोत्साहन, प्रक्रिया एवं दस्तावेजीकरण' पर प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत उद्यमियों को अपना निर्यात व्यापार प्रारम्भ करने के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाता है।



चित्र 5.2 : लकड़ी की वस्तुएँ



चित्र 5.3 : आभूषण

इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति, 2019 का निर्माण किया है जो राज्य में, कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय व कृषि उत्पादों की निर्यात संभावनाओं को तलाश कर उन अवसरों का लाभ उठाने के प्रावधान करती है। यह नीति राज्य में कृषि उत्पादों के निर्यात हेतु व्यवसायियों को प्रोत्साहन प्रदान करती है।

शब्दावली

आयात – वस्तुओं को अन्य देश या राज्य से खरीदना

निर्यात – वस्तुओं को अन्य देश या राज्य को बेचना

प्रसंस्करण – कृषि उत्पादों को खाद्य पदार्थों में बदलने की प्रक्रिया

अभ्यास प्रश्न

I. निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर के विकल्प को कोष्ठक में लिखिए–

1. राजस्थान में निम्नांकित में से कौनसा उद्योग बड़े उद्योग की श्रेणी में आता है?
   (अ) घाणी तेल (ब) शहद
   (स) सूती वस्त्र उद्योग (द) खादी सिल्क ( )
2. कौनसी वस्तु राजस्थान से निर्यात नहीं की जाती है ?
   (अ) ऊन (ब) जवाहरात
   (स) पेट्रोल (द) संगमरमर पत्थर ( )

II. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए–

1. ब्यावर में वर्ष 1889 में ....की स्थापना की गई।
2. राजस्थान सरकार ने कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति का निर्माण वर्ष .... में किया है।

III. अतिलघूत्तरात्मक प्रश्न –

1. राजस्थान में आयात की जाने की वस्तुओं के नाम लिखिए।
2. राज्य में निर्यात संवर्धन की दो योजनाओं के नाम लिखिए।

IV. लघूत्तरात्मक प्रश्न –

1. राजस्थान में कृषि आधारित उद्योगों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए।
2. आयात–निर्यात की परिभाषा एवं महत्त्व को समझाइए।

अध्याय 6
राजस्थान के प्रमुख शासक

I1W7P2

टोंक जिले के सोहला गाँव की सुमन एवं शबाना जयपुर घूम कर आयी। आने पर उन्होंने अपने अध्यापक जी से कहा गुरु जी! ''हमने जयपुर में जंतर–मंतर देखा। बहुत सुन्दर है। वहाँ हमें बताया गया कि उसे सवाई जयसिंह ने बनवाया था। जयसिंह एक महान निर्माता थे।'' यह सुनकर पास खड़ा बलवन्त बोला, ''पिछले साल मैं भी चित्तौड़गढ घूमने गया तब वहां मैंने विजय स्तम्भ देखा, जिसे महाराणा कुम्भा ने बनवाया था। वहाँ लोग कह रहे थे कि कुम्भा महान और वीर शासक थे।'' बच्चों की बातें सुनकर गुरुजी बोले– देखो बच्चो! ''राजस्थान में कई ऐसे शासक हुए हैं, जिन्हें हम वीर और महान कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने कार्यों से प्रदेश को गौरवान्वित किया है। ऐसे ही कुछ शासकों के बारे में बताता हूँ।''

पृथ्वीराज चौहान (1177–1192 ई.)

भारत में सल्तनत काल से पूर्व, पृथ्वीराज चौहान का नाम प्रतापी शासकों में महत्त्वपूर्ण रहा। उनके पिता का नाम सोमेश्वर एवं माता का नाम कर्पूरदेवी था। जब पृथ्वीराज अल्पायु थे तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई। ऐसे में माता कर्पूरदेवी ने संरक्षिका के रूप में शासन का भार सम्भाला किन्तु निकट के संबंधियों ने इसका लाभ उठाना चाहा। शासक बनने के उपरांत पृथ्वीराज चौहान ने सर्वप्रथम अपनी आन्तरिक स्थिति की ओर ध्यान दिया।



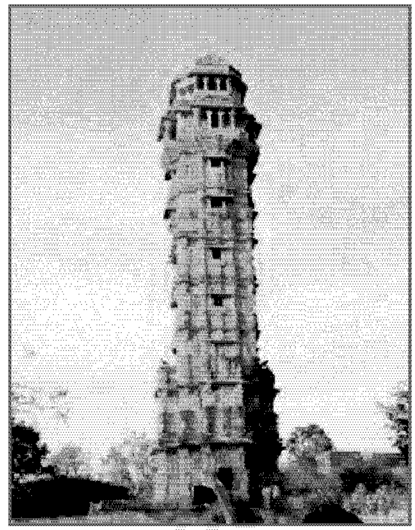
चित्र 6.1 : पृथ्वीराज चौहान

पृथ्वीराज चौहान में योग्य प्रशासक, वीर एवं साहसी योद्धा व सेनानायक आदि गुण विद्यमान थे। विद्यानुरागी पृथ्वीराज को छः भाषाओं का ज्ञान था। विद्यापति गौड़, वागीश्वर, जयानक, विश्वरूप जनार्दन, चंदबरदाई व पृथ्वीभट्ट जैसे लेखक व कवि उसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। प्रसिद्ध ग्रंथ 'पृथ्वीराज रासो' की रचना कवि चंदबरदायी द्वारा की गई।

महाराणा कुम्भा (1433–1468 ई.)

सिसोदिया वंश के कला प्रेमी शासक कुम्भा का जन्म 1417 ई. चितौड़ में हुआ। महाराणा कुम्भा 1433 ई. में मेवाड़ के राजसिंहासन पर बैठे। शासक बनते ही महाराणा कुम्भा को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। महाराणा कुम्भा की राजनैतिक उपलब्धियों में बूंदी, गागरोन, सिरोही, वागड़ विजय, मेवाड़–मारवाड़ मैत्री प्रमुख थी।

महाराणा कुम्भा के व्यक्तित्व में कटार, कलम और कला की त्रिवेणी थी। सांस्कृतिक दृष्टि से यह काल मेवाड़ के इतिहास का स्वर्ण युग था। मेवाड़ में स्थित 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग, कुम्भा द्वारा निर्मित हैं। कुम्भा ने अचलगढ़ दुर्ग, बसंती का दुर्ग, भोमट दुर्ग, मचान का दुर्ग, कुम्भलगढ़ दुर्ग एवं चितौड़ के दुर्ग में स्थित विजयस्तम्भ का निर्माण करवाया। कुम्भा महान संगीतकार भी थे, उनके द्वारा रचित संगीत के ग्रंथों में संगीतराज, संगीत मीमांसा, सूड़ प्रबंध सबसे प्रमुख हैं। कुम्भा ने जयदेव रचित 'गीतगोविंद' पर रसिकप्रिया टीका की रचना की व चंडीशतक की टीका भी लिखी। महाराणा कुम्भा ने 'महाराजाधिराज', 'रायरायन', 'महाराणा', 'राजगुरु', 'दानगुरु', 'हालगुरु', 'परमगुरु', 'चापगुरु' योग्यता अभिव्यक्त करने वाली उपाधियाँ भी धारण कर रखी थीं।

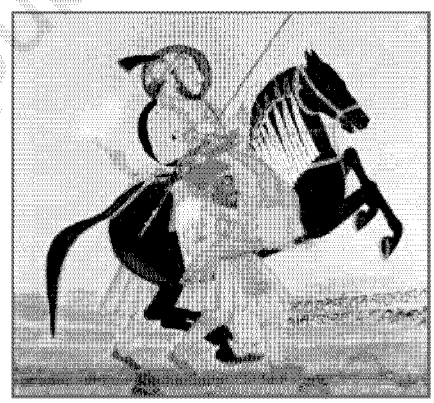


चित्र 6.2 : विजय स्तम्भ

महाराणा सांगा (1509–1528 ई.)

राणा सांगा का वास्तविक नाम संग्राम सिंह था। राणा सांगा, राणा रायमल के पुत्र थे। इनके शासन काल में, मेवाड़ अपनी शक्ति के चरमोत्कर्ष पर पहुँच गया। इन्होनें सभी राजपूत राज्यों को संगठित किया और उन्हें एक छत्र के नीचे लाए।

महाराणा सांगा पराक्रमी योद्धा थे। इन्होनें दिल्ली, गुजरात व मालवा, मुगल बादशाहों के आक्रमणों से अपने राज्य की बहादुरी से रक्षा की। इनके शरीर पर 80 घाव थे। राणा सांगा अपनी वीरता और उदारता के लिए प्रसिद्ध हैं।



चित्र 6.3 : महाराणा सांगा

मालदेव (1532–1562 ई.)

मालदेव राठौड़ वंश के राव गांगा के ज्येष्ठ पुत्र थे। मालदेव स्वतंत्रता प्रेमी एवं महत्त्वाकांक्षी शासक थे। मालदेव ने निरंतर सैनिक विजयों से और कूटनीति से मारवाड़ के राज्य की सीमा का विस्तार किया। मारवाड़ के इतिहास में, राव मालदेव का शासन मारवाड़ का ''शौर्य युग'' कहलाता है। उन्होनें अपने काल में कुल 52 युद्ध किए इनका एक साथ छोटे–बड़े 58 परगनों पर अधिकार रहा। सर्वप्रथम भाद्राजूण को जीता इसके बाद नागौर, मेड़ता, सिवाना, बीकानेर पर मालदेव ने विजय प्राप्त की। मालदेव ने सोजत दुर्ग, मालकोट दुर्ग (मेड़ता) पोकरण दुर्ग का निर्माण करवाया।

1562 ई. में मालदेव का देहान्त हो गया। मालदेव को फारसी इतिहासकारों ने ''हशमत वाला शासक'' (ताकतवर) नाम से पुकारा।

महाराणा प्रताप (1572 ई. से 1597 ई.)

महाराणा प्रताप, उदयसिंह के ज्येष्ठ पुत्र थे। इनका जन्म 9 मई 1540 को कुम्भलगढ़ में हुआ। इनकी माता का नाम जयवन्ता बाई था। राणा प्रताप का राज्याभिषेक 28 फरवरी, 1572 ई. को हुआ। शासन ग्रहण करते ही, उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा जैसे– मुगल शासक अकबर की मेवाड़ पर अधिकार करने की इच्छा, मेवाड़ की आर्थिक एवं सैन्य शक्ति को सुदृढ़ करना, भाई जगमाल का रूठकर अकबर की शरण में जाना आदि। महाराणा प्रताप ने मुगल शासक अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की।



चित्र 6.4 : महाराणा प्रताप

महाराणा प्रताप ने संकटकाल में भी कृषि और वनों के विकास का प्रयास किया। इन विषयों पर 'विश्व वल्लभ'' जैसी पुस्तक भी लिखवाई। उन्होंने मानवाधिकारों का हमेशा पोषण किया। महाराणा प्रताप अपनी वीरता और युद्ध कला के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अपने व्यक्तित्व से, मेवाड़ के प्रत्येक व्यक्ति को मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देने वाला महान योद्धा बना दिया।

महाराजा रायसिंह (1574–1612 ई.)

बीकानेर के राव कल्याणमल के बड़े पुत्र रायसिंह का जन्म 20 जुलाई, 1541 ई. को हुआ। 1574 ई. में रायसिंह का राज्याभिषेक हुआ। रायसिंह ने अपने रण कौशल से गुजरात, काबुल, कंधार एवं दक्षिण भारत के अभियानों को सफल बनाया। ये अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध थे। इसी खूबी के कारण उन्हें 'राजपूताने का कर्ण' भी कहते थे। रायसिंह ने बीकानेर के सुदृढ़ जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। इन्होंने किले के भीतर एक प्रशस्ति लिखवायी जिसे 'रायसिंह प्रशस्ति' कहते हैं। विद्यानुरागी महाराजा रायसिंह ने 'रायसिंह महोत्सव' एवं 'ज्योतिष रत्नमाला' जैसे ग्रंथों की रचना की।

मिर्जाराजा जयसिंह (1621–1667 ई.)

कछवाहा वंश के जयसिंह 1621 ई. में आमेर की राजगद्दी पर बैठे। जयसिंह ने मुगल बादशाह जहाँगीर, शाहजहाँ एवं औरंगजेब के विभिन्न सैनिक अभियानों में उत्तदायित्व का निर्वहन

किया। आमेर का शासन सम्भालते ही, जहाँगीर ने उन्हें सर्वप्रथम अहमदनगर के मलिक अम्बर के विरुद्ध अभियान पर भेजा। शाहजहाँ ने 1639 ई. में जयसिंह को ''मिर्जा राजा'' की उपाधि से विभूषित किया। औरंगजेब ने, जयसिंह को दक्षिण भारत में शिवाजी के विरुद्ध भेजा।

मिर्जा राजा जयसिंह वीर सेनानायक और कुशल राजनीतिज्ञ होने के साथ ही, साहित्य और कला प्रेमी भी थे। मिर्जा राजा जयसिंह के राज कवि बिहारी ने 1662 ई. में 'बिहारी सतसई' की रचना की। जयसिंह के अन्य दरबारी रामकवि ने 'जयसिंह–चरित्र' की रचना की।

महाराजा जसवन्त सिंह (1638–1678 ई.)

जसवन्त सिंह का जन्म दिसम्बर 1626 ई. में बुरहानपुर में हुआ। पिता गजसिंह की मृत्यु के पश्चात्, जसवन्त सिंह का राज्याभिषेक किया गया। मुगल बादशाह शाहजहाँ ने जसवंत सिंह को ''महाराजा'' की उपाधि दी। मुगल उत्तराधिकार युद्ध में जसवन्त सिंह पहले शाही सेना (शाहजहाँ) के साथ थे, परन्तु बाद में आमेर शासक जयसिंह के कहने पर, उन्होंने दौराई के युद्ध में औरंगजेब का साथ दिया। औरंगजेब ने जसवंत सिंह को अपने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में भेजा। जसवंत सिंह ने दक्षिण भारत में औरंगाबाद के निकट जसवंतपुरा कस्बा बसाया। जसवंत सिंह अच्छे साहित्यकार थे। इन्होंने 'आनन्द प्रकाश', 'सिद्धांत–बोध', 'भाषा भूषण', 'प्रबोध चंद्रोदय' आदि ग्रंथों की रचना की।

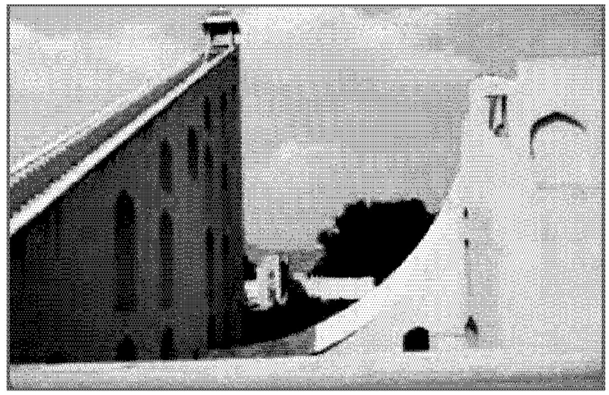
महाराजा राजसिंह प्रथम (1652–1680 ई.)

1652 ई. में महाराणा जगतसिंह के पुत्र राजसिंह मेवाड़ के शासक बने। राजसिंह ने मुगल उत्तराधिकार युद्ध में औरंगजेब का साथ दिया, परन्तु औरंगजेब की नीतियों ने राजसिंह को उसका विरोधी बना दिया। औरंगजेब के कारण, ब्रज से गोवर्धननाथ (श्रीनाथ जी) की मूर्ति को लेकर आये ''गोस्वामी'' भक्तों को राजसिंह ने शरण दी। सिंहाड़ (नाथद्वारा) में श्रीनाथजी की मूर्ति और द्वारिकाधीश की मूर्ति कांकरोली (राजसमंद) में स्थापित कर वहाँ मंदिर बनवाया। उदयपुर में अम्बामाता का मंदिर और अनेक जलस्रोत बनवाये। कांकरोली में राजसमंद झील बनवाई जो अपनी कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध है। इसी झील पर, रणछोड़ भट्ट द्वारा संस्कृत भाषा में लिखित प्रशस्ति को 25 शिलाओं पर खुदवाया गया है। इसे 'राजप्रशस्ति' के नाम से जाना जाता है। यह देश का सबसे बड़ा शिलालेख है।

सवाई जयसिंह (1699–1743 ई.)

जयसिंह का जन्म 1688 ई. में हुआ। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात अल्पायु में 1699 ई. में राजगद्दी पर बैठे। सवाई जयसिंह का अधिकांश समय राज्य के बाहर सैनिक अभियानों, मुगल राजनीति व मालवा में मराठों के प्रसार को रोकने में पूरा हुआ। औरंगजेब ने जयसिंह को 'सवाई' की उपाधि प्रदान की।

राजस्थान के इतिहास में, सवाई जयसिंह की गणना महान् शासक, सेनापति, विद्वान, आश्रयदाता और नक्षत्र एवं गणित विद्या के ज्ञाता के रूप में की जाती है। कछवाहा राजवंश के सवाई जयसिंह ने, आमेर के स्थान पर जयपुर को राजधानी बनाया।



चित्र 6.5 : जंतर–मंतर

सवाई जयसिंह ने 1725 ई. में नक्षत्रों की गति की गणना करने के लिए एक शुद्ध सारणी का निर्माण करवाया, जिसका नाम तत्कालीन मुगल बादशाह के नाम पर ''जीज–ए–मुहम्मदशाही'' रखा। सवाई जयसिंह के समय में ज्योतिष विद्या पर ''जयसिंह कारिका'' नामक ग्रंथ लिखा गया। ज्योतिष यंत्रों पर अनेक ग्रंथ भी इस दौरान लिखे गए, जिनमें सिद्धान्त सम्राट, यंत्रराज आदि प्रमुख हैं। सवाई जयसिंह ने ज्योतिष के अध्ययन के लिए जंतर–मंतर नाम से पाँच वेधशालाएँ बनवायीं, जो जयपुर, दिल्ली, मथुरा, बनारस और उज्जैन में स्थित हैं।

महाराजा सूरजमल (1755–1763)

महाराजा सूरजमल भरतपुर के शासक थे। इनके पिता बदनसिंह ने अपनी अस्वस्थता के कारण, अपना राजपाट इन्हें सौंपा था। जब मुगल साम्राज्य एवं अन्य राज्य अवनति की ओर जा रहे थे तब मुगलों, मराठों और राजपूतों से गठबंधन का शिकार हुए बिना ही, सूरजमल ने अपनी योग्यता से भरतपुर राज्य का विस्तार किया एवं गाजियाबाद, रोहतक, झज्जर, आगरा, धौलपुर, मैनपुरी, हाथरस, बनारस, फर्रुखनगर इलाके जीत लिये।

सूरजमल वीर सेनानायक, चतुर कूटनीतिज्ञ एवं कलाप्रेमी के साथ एक मानवीय दृष्टिकोण वाले शासक थे। पानीपत के तृतीय युद्ध के पश्चात् इन्होंने मराठा शरणार्थियों को अपने राज्य में संरक्षण दिया। कला मर्मज्ञ के रूप में अपने प्रभुत्व वाले क्षेत्रों में किले व महल बनवाये। इन्होनें अपने राज्य में साहित्यकारों को संरक्षण दिया। कविवर सूदन, अखेराम गर्ग जैसे विद्वान उनके दरबार की शोभा बढ़ाते थे।

शब्दावली

विद्यानुरागी – विद्या में अत्याधिक रुचि रखने वाला

मर्मज्ञ – ज्ञानी

अवनति – पतन

अभ्यास प्रश्न

I. निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर के विकल्प को कोष्ठक में लिखिए–

1. 'राजपूताने का कर्ण' कहा जाता है–

(अ) महाराजा रायसिंह (ब) महाराणा सांगा

(स) मिर्जा राजा जयसिंह (द) महाराणा प्रताप ( )

2. विजय स्तम्भ का निर्माण करवाया–

(अ) महाराणा प्रताप (ब) सवाई जयसिंह

(स) महाराजा सूरजमल (द) महाराणा कुम्भा ( )

II. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए–

1. ज्योतिष अध्ययन के लिए जंतर–मंतर (वेधशालाओं) का निर्माण .... ने करवाया।
2. प्रसिद्ध कवि चन्दबरदायी ने .... की रचना की।

III. अतिलघूत्तरात्मक प्रश्न –

1. महाराजा सूरजमल कहाँ के शासक थे ?
2. महाराजा जसवंत सिंह की किन्हीं दो पुस्तकों के नाम लिखिए।

IV. लघूत्तरात्मक प्रश्न –

1. सवाई जयसिंह द्वारा किये गए कार्यों का उल्लेख कीजिए।
2. राणा कुम्भा की सांस्कृतिक उपलब्धियाँ बताइए।

अध्याय 7

आजादी का आंदोलन और राजस्थान

H5J3D6

देश में जब आजादी का आंदोलन चल रहा था, तब राजस्थान भी उससे अछूता नहीं रहा। राजस्थान में अजमेर पर अंग्रेजों का सीधा आधिपत्य था। शेष राजस्थान पर राजा महाराजाओं का शासन था। इसलिए यहाँ संघर्ष का स्वरूप थोड़ा भिन्न था। अंग्रेजों ने देशी रियासतों के काम–काज में हस्तक्षेप करना प्रारम्भ कर दिया था, जिससे यहाँ के सामाजिक ताने बाने में बदलाव आया। इसके विरुद्ध यहाँ के किसानों एवं जनजातियों ने आवाज उठायी एवं संघर्ष किया। कालान्तर में विभिन्न रियासतों में प्रजामंडलों की स्थापना हुई। प्रजामंडलों ने लोगों में राजनीतिक चेतना जागृत की एवं बाद में राजस्थान के एकीकरण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।

राजस्थान में किसान आंदोलन

मध्यकाल में राजस्थान में जागीरदारों एवं किसानों के मध्य अच्छे सम्बन्ध थे। जागीरदार किसानों को अपनी जागीर में बसने के लिए प्रोत्साहित करते थे। परन्तु अंग्रेजों एवं राजाओं के मध्य सहायक संधि होने के बाद अंग्रेजों ने राजाओं से नकद लगान वसूलना प्रारंभ किया। राजाओं ने यह राशि जागीरदारों से एवं जागीरदारों ने किसानों से वसूली। अंग्रेजों के साथ राजा एवं जागीरदार ऐशोआराम में पड़ गए एवं यह भार भी किसानों पर डाल दिया गया। उन पर लागतें बढा दी गईं। किसानों से बेगार ली जाने लगी। परेशान होकर किसानों ने विरोध में आंदोलन किये, जिनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं :–

बिजोलिया आंदोलन

भारत में एक संगठित किसान आंदोलन की शुरूआत का श्रेय, मेवाड़ के बिजोलिया किसान आंदोलन को जाता है। इस आंदोलन की प्रमुख विशेषता यह थी कि यह 44 वर्षों तक चला एवं पूर्णतया अहिंसात्मक रहा। बिजोलिया जो वर्तमान के भीलवाड़ा जिले में स्थित है, तत्कालीन मेवाड़ रियासत का ठिकाना था। यह आंदोलन धाकड़ जाति के किसानों द्वारा प्रारम्भ किया गया। यह आंदोलन मुख्यतः तीन चरणों में विभक्त था। प्रथम चरण (1897 से 1914), दूसरा चरण (1914 से 1923) और तीसरा चरण (1923 से 1941)।

1897 ई में राव कृष्ण सिंह के समय बिजोलिया की जनता से 84 प्रकार की लागतें ली जाती थी। अतः किसानों के प्रतिनिधि नानजी और ठाकरी पटेल ने मेवाड़ महाराणा से इसकी शिकायत की। नाराज राव ने कुछ समय पश्चात प्रजा पर 'चंवरी कर' लगा दिया। किसानों के विरोध के बाद चंवरी कर की लागत माफ कर दी एवं लगान में छूट दी गई। राव कृष्णसिंह की मृत्यु के बाद पृथ्वीसिंह ने जनता पर 'तलवार–बन्दी' की लागत लगा दी। किसानों ने साधु सीताराम दास, फतहकरण चारण और ब्रह्मदेव के नेतृत्व में राव की इस कार्रवाई का विरोध किया।

इस आंदोलन के दौरान श्री विजयसिंह पथिक ने सन् 1917 ई. में उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की। उनको माणिक्यलाल वर्मा का भी साथ मिला। किसानों ने पथिक के नेतृत्व मेंए आंदोलन जारी रखा। किसानों ने शान्तिपूर्वक सत्याग्रह किया और गिरफ्तार होते रहे। आंदोलन के तीसरे चरण में जमनालाल बजाज ने आंदोलन का नेतृत्व किया। सन् 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री राघवाचार्य के आदेश से तत्कालीन राजस्व मंत्री डॉ. मोहनसिंह मेहता बिजोलिया गये। उन्होंने किसानों से समझौता करके उनकी जमीनें पुनः दिलवाई। एक लम्बे संघर्ष के बाद आंदोलन समाप्त हुआ। अंजना देवी चौधरी, रमा देवी, नारायणी देवी वर्मा जैसी महिला नेत्रियों ने भी इस आंदोलन में अपना योगदान दिया।

बेगूं किसान आंदोलन

बिजोलिया आंदोलन की सफलता से उत्साहित होकर मेवाड़ के बेगूं ठिकाने में भी किसानों ने जागीरदार के अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाई। किसान, मेनाल नामक स्थान पर एकत्र हुए तथा पथिक से नेतृत्व करने का आग्रह किया। पथिक जी के आदेश से रामनारायण चौधरी ने किसानों का नेतृत्व किया। लम्बे संघर्ष के बाद किसानों एवं राजा अनूपसिंह के मध्य समझौता हुआ जिसे मेवाड़ सरकार एवं रेजिडेण्ट ने मानने से मना कर दिया। सरकार ने जाँच हेतु रेवेन्यू कमिश्नर ट्रेंच को भेजा। रेवेन्यू कमिश्नर ट्रेंच ने गोविन्दपुरा में एकत्र किसानों पर गोलियां चलाने व गांवों को जलाने का आदेश दिया। रूपाजी व कृपाजी धाकड़ घटनास्थल पर ही मारे गए। कई किसान घायल व गिरफ्तार हुए। अन्त में प्रशासन को झुकना पड़ा और 53 में से 34 लागतें समाप्त की गई व बेगार पर रोक लगाई गई।

बूंदी किसान आंदोलन

सन् 1926 में पं. नयनूराम, रामनारायण चौधरी एवं हरिभाई किंकर के नेतृत्व में बूंदी के किसानों ने भी लाग–बाग व बेगार के विरुद्ध आंदोलन छेड़ा। बूंदी के बरड़ में, पुलिस ने एकत्र किसानों पर गोली चला दी जिससे घटनास्थल पर ही नानक भील की मृत्यु हो गई। अनेक स्त्रियाँ व बच्चे भी घायल हुए। बूंदी राज्य सरकार द्वारा 1943 में किसानों की मांगें स्वीकार करने पर आंदोलन की समाप्ति हुई।

अलवर किसान आंदोलन (नीमूचाणा)

अलवर राज्य में जंगली सूअर किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाते थे। किसानों ने 1921 में सूअर मारने की अनुमति को लेकर आंदोलन किया। सन् 1925 में अलवर महाराजा जय सिंह द्वारा की गई लगान वृद्धि के विरुद्ध, किसानों ने नीमूचाणा गाँव में एक सभा का आयोजन किया। सभा पर गोली चलाने से सैंकड़ों किसान, स्त्रियाँ एवं बच्चे मारे गए। अनेक घरों को जला दिया गया। अनेक पशु जल कर मर गए। गांधी जी ने इस घटना की आलोचना करते हुए, इसे राजस्थान का जलियाँवाला बाग हत्याकांड कहा।

सीकर किसान आंदोलन

सीकर जयपुर राज्य का बड़ा ठिकाना था। ठाकुर कल्याण सिंह ने पूर्व ठाकुर की मृत्यु पर हुए खर्चे के लिए लगान में वृद्धि कर दी। वर्षा की कमी होने पर भी, लगान की दरें कम नहीं की। किसानों ने इसका तीव्र विरोध किया। ठिकानेदार ने निर्मम अत्याचार किये, किन्तु किसान हताश नहीं हुए। किसानों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर गोलियां चलायी गईं। इस आंदोलन की चर्चा लंदन के हाउस ऑफ कॉमंस में हुई। जयपुर राज्य की मध्यस्थता के बाद, बंदोबस्त सुधार के लिए किसानों को आश्वस्त करना पड़ा तथा लगान में भी कमी करनी पड़ी। सरदार हरलाल सिंह, नेतराम सिंह तथा पृथ्वी सिंह गोठड़ा इस आंदोलन से जुड़े प्रमुख नेता थे।

शेखावाटी किसान आंदोलन

शेखावाटी के किसानों ने भी मनमानी लगान वृद्धि के विरुद्ध आंदोलन शुरू किया। चिड़ावा में मास्टर कालीचरण ने सेवा–समिति का गठन किया। नवलगढ़, मंडावा, डूंडलोद, बिसाऊ, मालासर के किसानों ने लगान देने से साफ मना कर दिया। मालासर के ठिकानेदार ने किसानों की बेरहमी से पिटाई करवायी। डूंडलोद ठाकुर ने भी किसानों पर निर्मम अत्याचार किये। हालांकि जयपुर राज्य ने जागीरदारों एवं किसानों के बीच समझौता करने के कई प्रयास किये, किंतु यहाँ का स्थायी समाधान आजादी के बाद ही हो पाया।

अन्य किसान आंदोलन

सन् 1945 में चंडावल ठाकुर ने लाठियों व भालों के प्रहार से किसान आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया। इसी तरह 1947 में डाबड़ा में लगान, लाग–बाग, बेगार के विरुद्ध लगभग 600 किसान ठिकानेदार के पास गये तो उसने बंदूकें, तलवारें व भाले चलवाए जिससे कई लोग हताहत हुए।

जन–जाति आंदोलन

राजस्थान में भील, मीणा, गरासिया आदि जनजातियाँ प्राचीन काल से निवास करती आई हैं। दक्षिणी राजस्थान में भीलों का बाहुल्य है। मेवाड़ के राजचिह्न में इनका चित्र अंकित रहता है। जयपुर एवं आस पास के क्षेत्र में मीणा जाति का बाहुल्य है। परन्तु, समय के फेर से ये बहादुर जातियाँ सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़ गईं। अंग्रेजी काल में इनका भारी शोषण हुआ। उस काल में कुछ जन सेवकों एवं समाज सुधारकों ने इन्हें जागृत किया।

1. भील आंदोलन

भीलों में जागृति की विचारधारा का प्रसार करने में गोविन्द गुरु की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही। उन्होंने 'संप सभा' की स्थापना की। गोविन्द गुरु ने बेगार व अनुचित लागतें न देने के लिए भीलों

को जागृत किया। सन 1913 में, मानगढ़ पहाड़ी पर आश्विन सुदी पूर्णिमा को, संप सभा का अधिवेशन हो रहा था तब अंग्रेज सेना ने पहाड़ी को चारों तरफ से घेरकर गोलियाँ चलायीं। घटनास्थल पर ही हजारों आदिवासी मारे गए और घायल हुए। इसे भगत आंदोलन भी कहा जाता है।

आदिवासी जातियों के दूसरे मसीहा मोतीलाल तेजावत थे। चित्तौड़गढ़ के मातृकुंडियां में तेजावत ने किसानों व आदिवासियों को बेगार, लगान, अत्याचार आदि के विरुद्ध संघर्ष का आह्वान किया। आंदोलन को गति देने के लिए एकता पर बल दिया, इसलिए इसे एकी आंदोलन कहा जाता है। एकी आंदोलन को गति देने के लिए हजारों आदिवासी उदयपुर में एकत्र हुए तथा महाराणा को 21 सूत्रीय मांगपत्र दिया गया। इस मांगपत्र को ''मेवाड़ की पुकार'' कहा गया। महाराणा ने तत्काल 18 मांगें मान ली। देवल, डूंगरपुर, बाँसवाड़ा में भीलों को संगठित करने का श्रेय भोगीलाल पंड्या तथा हरिदेव जोशी को भी जाता है।

2. मीणा जनजाति आंदोलन

मीणा जनजाति के एक वर्ग को अंग्रेजी शासन ने शांति व्यवस्था की जिम्मेदारी दे रखी थी। ये मीणा चौकीदारी करते एवं बदले में गाँव वालो से चौथ वसूला करते थे। ये मीणा 'चौकीदार मीणा' कहलाये। राज्य में होने वाली चोरी डकैती के लिए अक्सर इन्हें जिम्मेदार ठहराया जाने लगा और किसी चोरी का माल बरामद न होने पर, मीणाओं से उस माल की कीमत वसूली जाने लगी। कुछ लोग अपराधिक कार्यो में संलग्न होने लगे। सरकार ने 1924 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के तहत 12 वर्ष से अधिक आयु के मीणा जाति के लोगों को, प्रतिदिन समीप के थाने में अपनी उपस्थिति देने के लिए पाबन्द किया गया। इन कारणों से मीणाओं में असंतोष फैला। मीणा समाज में व्याप्त बुराइयों, जरायम पेशा जैसे कठोर कानून को हटवाने और चौकीदारी प्रथा समाप्त करने के लिए आंदोलन चलाया गया। आजादी के बाद सन् 1952 में जाकर जरायम पेशा कानून समाप्त हुआ।

प्रजामंडल

प्रजामंडल का अर्थ है– प्रजा का मंडल अथवा संगठन। राजस्थान में प्रजामण्डलों में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। पं. जवाहरलाल नेहरु ने कहा कि, किसी स्थान पर जन आंदोलन तभी आरम्भ हो सकता है, जब वहाँ की जनता तैयार हो। जन आंदोलन के संचानल का दायित्व जनता को दिया गया एवं राजस्थान की विभिन्न रियासतों में प्रजामंडलों का गठन किया गया –

1. मारवाड़ प्रजामंडल

जयनारायण व्यास ने जोधपुर में 1934 में मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की। भंवरलाल सर्राफ इसके अध्यक्ष बने। प्रजामंडल आंदोलन को गति देने के लिए 1938 में रणछोड़ दास गट्टारी की अध्यक्षता में मारवाड़ लोक परिषद् का गठन हुआ।

2. जयपुर प्रजामंडल

1931 में कर्पूरचंद पारगी एवं जमनालाल बजाज के प्रयासों से जयपुर प्रजामण्डल की स्थापना हुई। यह राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल था। 1936 में जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन हुआ। जयपुर में चिरंजीलाल मिश्र के नेतृत्व में प्रजामंडल ने कार्य करना प्रारम्भ किया। सन् 1938 में जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में पहला अधिवेशन हुआ। बाद में हीरालाल शास्त्री भी इसके अध्यक्ष बने। प्रजामंडल ने रियासत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग की।

3. मेवाड़ प्रजामंडल

24 अप्रेल 1938 को बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई। माणिक्यलाल वर्मा की इसमें महत्त्वपूर्ण भूमिका रही। प्रजामंडल ने महाराणा पर अंग्रेजों से सम्बन्ध तोड़ने का निरंतर दबाव डाला। स्वतंत्रता के संघर्ष में प्रजामंडल की सक्रिय भूमिका रही थी।

4. बीकानेर प्रजामंडल

1936 में मघाराम वैद्य व लक्ष्मणदास स्वामी ने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की। 30 जून 1946 को रायसिंह नगर में प्रजामंडल का खुला अधिवेशन आयोजित किया गया।

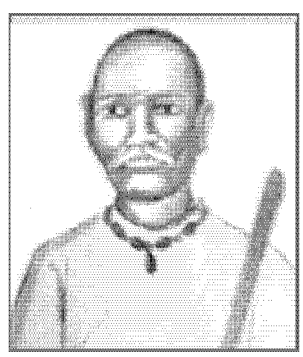
5. कोटा प्रजामंडल

अभिन्न हरि, तनसुख लाल आदि के सहयोग से नयनूराम ने हाडौती प्रजामंडल की स्थापना की। कोटा में पं. नयनूराम की अध्यक्षता में मई 1939 में प्रजामंडल का अधिवेशन हुआ। कोटा प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं ने, अन्य प्रजामंडलों की तरह भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया तथा उत्तरदायी शासन की मांग की।

इन सभी प्रमुख रियासतों के साथ ही पूर्वी राजस्थान के राज्यों में भी, प्रजामंडल आंदोलन की गतिविधियाँ समानांतर संचालित की जाती रही। इन रियासतों में प्रजामंडल आंदोलन मुख्य रूप से अंग्रेजी शासन से उत्तरदायी शासन के मध्य कड़ी के रूप में कार्य किया।

प्रमुख जन नायक

गोविंद गुरु

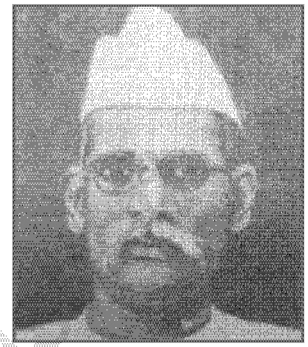

चित्र 7.1 : गोविंद गुरु

गोविंद गुरु का जन्म डूंगरपुर राज्य, में एक साधारण बंजारा परिवार में हुआ था। यह दयानंद सरस्वती से बहुत अधिक प्रभावित थे। इन्होंने डूंगरपुर, बांसवाड़ा, दक्षिणी मेवाड,. सिरोही, गुजरात और मालवा के बीच के पहाड़ी प्रदेश में रहने वाले आदिवासियों को संगठित करने का कार्य किया। इन्होंने 1903 में संप सभा की स्थापना

की संप राजस्थानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है संयुक्त का प्रेम और बंधुत्व।

संप सभा के माध्यम से गोविंद गुरु ने आदिवासियों को शराब, मांस, चोरी, लूटमार आदि से दूर करने का प्रयास किया। मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करने का संदेश दिया। गाँव–गाँव में स्कूल खोलने और बच्चों, बूढ़ों को पढ़ाने और ज्ञान के प्रसार का संदेश दिया। रोज स्नान करने व ईश्वर में आस्था रखने की बात कही।

अर्जुन लाल सेठी



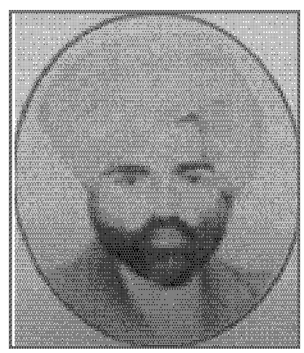
चित्र 7.2 : अर्जुन लाल सेठी

इनका जन्म जयपुर में हुआ था। जयपुर में इन्होंने वर्धमान विद्यालय की स्थापना की। ये अंग्रेजी, पारसी, संस्कृत, अरबी और पाली के विद्वान थे। इनके वर्धमान विद्यालय में देशभर के क्रांतिकारियों को समुचित प्रशिक्षण देने की व्यवस्था थी। सेठी धार्मिक शिक्षा के साथ–साथ विद्यार्थियों को देश सेवा और क्रांति का पाठ पढ़ाते थे। प्रसिद्ध क्रांतिकारी रासबिहारी बोस से संपर्क में आने के बाद, राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का संगठन करने का दायित्व श्री सेठी को सौंपा गया।

केसरी सिंह बारहठ

केसरी सिंह बारहठ, राजस्थान में सशस्त्र क्रांति के साथ जुड़े थे। केसरी सिंह ने राजपूताने के जागीरदारों और रईसों में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम में उनका सक्रिय सहयोग प्राप्त करने का कार्य किया। उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर के राजघरानों पर उनका गहरा प्रभाव था। केसरी सिंह बारहठ ने 'चेतावणी रा चूंगट्या' नामक प्रसिद्ध सोरठ लिखकर, मेवाड़ महाराणा को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सचेत किया।

विजय सिंह पथिक



चित्र 7.3 : विजय सिंह पथिक

विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम भूपसिंह गुर्जर था। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में हुआ। उन्हें क्रान्ति के संचालन हेतु राजस्थान भेजा गया परन्तु क्रान्ति की योजना के असफल होने पर ये भूमिगत हो गए। बाद में विजय सिंह पथिक नाम से बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया एवं 1919 में वर्धा में 'राजस्थान सेवा संघ' की स्थापना की।

सेठ दामोदर दास राठी

दामोदर दास राठी का जन्म पोकरण मारवाड़ में हुआ था। राष्ट्रीय चर्चाओं की ओर इनका

बचपन से ही झुकाव था। खरवा के राव गोपाल सिंह से राठी की अंतरंग मित्रता थी। प्रथम महायुद्ध के दौरान रासबिहारी बोस और राजा महेंद्र प्रताप ने सारे देश में क्रान्ति की योजना बनाई थी और 21 फरवरी 1915 का दिन उसके लिए निश्चित किया। राजस्थान में अजमेर, नसीराबाद की छावनी पर कब्जा करने की जिम्मेदारी खरवा के राव गोपाल सिंह और भूपसिंह को दी गई। इस योजना के लिए आर्थिक सहायता राठी ने उपलब्ध करवाई थी। 1921 में राठी जी ने ब्यावर में आर्य समाज की नींव रखी।

ठाकुर जोरावर सिंह बारहठ

चांदनी चौक में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाले रासबिहारी बोस के साथ ठाकुर जोरावर सिंह भी वहाँ पर उपस्थित थे। ठाकुर जोरावर सिंह, ठाकुर केसरी सिंह बारहठ के छोटे भाई और अमर शहीद कुंवर प्रताप सिंह के चाचा थे। इनको पकड़ने के लिए कोटा सरकार तथा बिहार सरकार ने भारी इनाम की घोषणा की थी, लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने की घटना के बाद 27 वर्षों तक भूमिगत रहते हुए सन् 1939 में इनकी मृत्यु हुई।

कुंवर प्रताप सिंह

ये केसरीसिंह बारहठ के पुत्र थे। इन्होंने रासबिहारी बोस के साथ क्रान्तिकारी गतिविधियों में भाग लिया। प्रताप जोधपुर होकर आ रहे थे, तब इनके परिचित आसानाडा स्टेशन मास्टर ने, अपनत्व का ढोंग रचते हुए इन्हें गिरफ्तार करवा दिया। इन्हें बरेली जेल में भेज दिया गया और कठोर यातनाएं दी गयी। साथी क्रातिकारियों के जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रलोभन भी दिए गए। लेकिन इन्होंने अपने साथियों के बारे में नहीं बताया। इनके धैर्य और कष्ट सहिष्णुता के आगे सी. आई.डी. के डायरेक्टर सर चार्ल्स क्लीवलैंड भी चकरा गए। ब्रिटिश सरकार की अमानुषिक यातनाओं का शिकार होकर बरेली जेल में अल्पायु में ही शहीद हो गए।

राव गोपाल सिंह खरवा

राजस्थान में सशस्त्र क्रान्ति का कार्य खरवा के ठाकुर राव गोपाल सिंह व विजय सिंह पथिक को सौंपा गया। अंग्रेजों को पता लग जाने के कारण क्रान्ति की योजना विफल हो गई। विजयसिंह पथिक व राव गोपाल सिंह को टाडगढ़ में नजरबंद कर दिया गया। कुछ दिनों पश्चात ही दोनों वहाँ से लापता हो गए। गोपाल सिंह सलेमाबाद में पकड़े गए और तिहाड़ जेल भेज दिए गए। सन् 1920 में रिहा होने के बाद, ये रचनात्मक कार्यों में संलग्न रहे।

शब्दावली

बेगार	–	बिना मजदूरी के बलपूर्वक करवाया जाने वाला काम
सत्याग्रह	–	सत्य के लिए किया गया हठ (आग्रह)
लाग–बाग	–	जागीरदारों द्वारा अपनी जनता से लिया जाने वाला लागत कर और बेगार।
चंवरी कर	–	जनता से बेटी की शादी पर जागीरदार द्वारा लिया जाने वाला कर।

अभ्यास प्रश्न

I. निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर के विकल्प को कोष्ठक में लिखिए–

1. "चेतावणी रा चूंगट्या" नामक प्रसिद्ध सोरठें लिखे थे–

   (अ) केसरी सिंह बारहठ ने (ब) अर्जुन लाल सेठी ने

   (स) जोरावर सिंह बारहठ ने (द) राव भोपाल सिंह खरवा ने ( )

2. राव सवाई कृष्ण सिंह के समय में बिजोलिया की जनता से लागतें (लाग) ली जाती थीं–

   (अ) 48 प्रकार की (ब) 84 प्रकार की

   (स) 88 प्रकार की (द) 44 प्रकार की ( )

II. स्तम्भ 'अ' को स्तम्भ 'ब' से सुमेलित कीजिए–

स्तम्भ 'अ'	स्तम्भ 'ब'
मारवाड़ प्रजामंडल	माणिक्य लाल वर्मा
मेवाड़ प्रजामंडल	पं.अभिन्न हरि
जयपुर प्रजामंडल	जमनालाल बजाज
बीकानेर प्रजामंडल	जयनारायण व्यास
कोटा प्रजामंडल	मघाराम वैद्य

III. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए–

1. भगत आंदोलन..................................द्वारा चलाया गया।
2. 1919 में वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना ....द्वारा की गई।

III. अतिलघूत्तरात्मक प्रश्न –

1. किन्हीं तीन किसान आंदोलनों के नाम लिखिए।
2. गोविन्द गुरू किसके विचारों से प्रभावित थे?

IV. लघूत्तरात्मक प्रश्न –

1. बिजोलिया किसान आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
2. प्रजामंडल से आप क्या समझते हैं? इनके नाम लिखिए।

अध्याय 8

आजादी से पूर्व राजस्थान में सामाजिक–शैक्षणिक सुधार

E7Y6H3

आखातीज (अक्षय तृतीया) पर हुए विवाह की खबर पढ़कर जूही ने, इसका कारण अपनी माँ से पूछा। माँ ने जवाब दिया– ''यह हमारे रीति रिवाजों और परंपराओं का हिस्सा रहा है। पर धीरे–धीरे इसमें बदलाव हुए हैं और लोगों की समझ इस दिशा में बननी शुरू हुई है। बाल विवाह, जाति प्रथा, सती प्रथा, कन्या वध व दास प्रथा जैसी प्रथाएँ हमारे समाज में प्रचलित थीं।''

प्राचीन काल में समाज में वर्णव्यवस्था पर आधारित जातिगत स्वरूप विद्यमान था, जो श्रम और कार्य विभाजन पर आधारित, सकारात्मक व्यवस्था थी। धीरे–धीरे इसका स्वरूप बदला और यह पूर्ण रूप से जन्म आधारित बन गई। इसमें धीरे–धीरे नकारात्मकता का समावेश भी हुआ। हम जानते हैं कि समाज का व्यक्ति के जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ता है चूँकि सकारात्मक व्यवस्था मस्तिष्क को खुलापन देती है और नकारात्मकता कई विकृतियों को जन्म देती है। उस समय विवाह संस्था सामाजिक व्यवस्था का एक मजबूत रूप बनी हुई थी। इसी के चलते कुछ परंपराओं और मान्यताओं का सही रूप प्रासंगिकता नहीं बनाए रख सका और इसके विकृत रूप ने समाज में अनेक समस्याओं को जन्म दिया। बाल विवाह, सती प्रथा, जाति प्रथा, कन्या वध, दास प्रथा जैसी कुरीतियां समाज में फैल गईं। तत्कालीन सामाजिक सुधारकों ने ब्रिटिश सरकार के प्रयासों से इसे दूर करने की दिशा में कार्य किये।

सामाजिक सुधार

राजस्थान में सन् 1818 से 1947 तक ब्रिटिश शासन का प्रभाव रहा। ब्रिटिश सरकार भी इन सभी मुद्दों को अपनी अहस्तक्षेप की नीति के चलते सीधे जनता के सामाजिक और धार्मिक मामलो में हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी। इसलिए पहले आवश्यक सुधारों से जुड़े महत्त्वपूर्ण पक्ष जैसे शिक्षा को लेकर सामाजिक सुधार के क्षेत्र में कार्य करने का प्रयास किया। स्वामी विवेकानन्द और दयानन्द सरस्वती के प्रयास राजस्थान के लिए बेहद महत्त्वपूर्ण रहे। रियासत काल में राजपूताना के विभिन्न शासकों ने भी सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के प्रयास किये।

1. सती प्रथा उन्मूलन

सती प्रथा राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में भी प्रचलित थी। मध्यकाल में मुहम्मद बिन तुगलक और अकबर ने भी इस प्रथा को रोकने के प्रयास किये। ब्रिटिश काल में, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से प्रेरित होकर 1829 ई. में कानून बनाकर लार्ड विलियम बैंटिक ने, सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया। सर्वप्रथम जयपुर राज्य में, जयपुर संरक्षक समिति के प्रयासों से सती प्रथा निषेध कानून पारित किया गया। इसके पश्चात् कोटा, जयपुर और मेवाड़ में भी सती प्रथा उन्मूलन हेतु कानून बनाये गए।

2. कन्या वध प्रतिबंध

राजस्थान में सर्वप्रथम कोटा राज्य में कन्या वध को गैर कानूनी घोषित किया। इसके पश्चात् बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर और अलवर राज्यों ने इस प्रथा को गैर–कानूनी घोषित किया।

3. बाल विवाह एवं अनमेल विवाह निषेध कानून

कम उम्र की कन्याओं का उनसे अधिक अवस्था के पुरुष से विवाह करना अनमेल विवाह तथा अवयस्क बालक बालिकाओं का विवाह कर देना दोनों ही कुप्रथाएँ समाज में प्रचलन में थीं। इससे बालक–बालिकाओं के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता था जो प्रगतिशील समाज के लिए उपयुक्त नहीं था।

राष्ट्रीय स्तर पर, अनमेल एवं बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं को रोकने के लिए समाज सुधारक स्वामी दयानन्द सरस्वती ने आवाज उठायी। 10 दिसम्बर, 1903 में अलवर रियासत ने बाल विवाह और अनमेल विवाह निषेध कानून बनाया।

4. दास प्रथा उन्मूलन

भारत में दास प्रथा प्राचीन काल से अस्तित्व में थी। राजस्थान भी इससे अछूता नहीं रहा। मुगलों के आगमन के बाद इस प्रथा को और बढ़ावा मिला। दासों की संख्या के आधार पर कुल और परिवारों की प्रतिष्ठा एवं उच्चता का आंकलन होने लगा था। ये शासक, सामंतों एवं धनिकों के यहाँ सेवा–सुश्रुषा के लिए रहते थे। इनकी सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं थी। इस प्रथा को चाकर या हाली के रूप में समझा जा सकता है। इसे समाप्त करने हेतु अंग्रेजो द्वारा 1833 ई. के चार्टर अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया।

5. डायन प्रथा निर्मूलन

राजस्थान में कुछ जातियों में स्त्रियों पर डाकन होने का आरोप लगाकर उन्हें मार डालने की कुप्रथा व्याप्त थी। यह अन्धविश्वास पर आधारित थी। मेवाड़ और कोटा राज्यों में इस प्रथा का प्रचलन अधिक था।

1853 ई. में डाकन प्रथा की जानकारी मिलने पर ए.जी.जी. राजपूताना ने इस अमानवीय प्रथा को प्रतिबंधित करने हेतु कानून बनाने के लिए रियासतों के शासकों पर दबाव बनाया एवं कुछ रियासतों द्वारा इस प्रथा को गैर–कानूनी घोषित कर दिया गया।

शैक्षिणक सुधार

भारतीय समाज में प्राचीन काल से ही शिक्षा का महत्त्व रहा है। प्राचीन काल में शिक्षा के

मुख्य केन्द्र घरेलू शिक्षा, गुरुकुल, विद्या आश्रम, उपाश्रय, पाठशाला, मकतब और मदरसे, मठ आदि रहे हैं। परिवार प्राथमिक और व्यवसायिक शिक्षा के प्रमुख केन्द्र होते थे।

राजपूताना में भी शिक्षा विभिन्न काल क्रमों से गुजरी है। ब्रिटिश साम्राज्य ने 19वीं शताब्दी से पूर्व की शिक्षा को, देशी शिक्षा (इंडिजिनियस एज्युकेशन) से सम्बोधित किया। इसके बाद की शिक्षा को, अंग्रेजी शिक्षा, पाश्चात्य शिक्षा या आधुनिक शिक्षा के नाम से सम्बोधित किया गया।

इस प्रकार 19वीं शताब्दी में एक ओर शिक्षा का पारम्परिक स्वरूप नजर आता है तो दूसरी ओर अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव। 1819 में आधुनिक शिक्षा का स्कूल अजमेर में खोला गया। इसके पश्चात पुष्कर, भिनाय एवं केकड़ी में भी स्कूल खोले गए। लेकिन लोगों द्वारा, ईसाई धर्म की दी जाने वाले शिक्षा का विरोध किया गया। परिणामस्वरूप ये सभी स्कूल बंद कर दिए गए।

1835 ई में अंग्रेजी भाषा, राजकीय भाषा बना दी गई। अतः अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली का महत्त्व बढ़ा। फलस्वरूप, रियासतों में आधुनिक शिक्षा प्रणाली को अपनाने वाले स्कूल खुलने लगे। 19वीं सदी के अंत तक, जैसलमेर को छोड़कर राजपूताना की सभी रियासतों में शिक्षण संस्थाएँ प्रारंभ हो चुकी थीं।

प्राथमिक स्कूल और मिडिल स्कूल क्रमोन्नत होकर हाई स्कूल बने। इनमें सबसे पहले अजमेर का सरकारी स्कूल 1851 में हाई स्कूल बना। रियासतों में हाई स्कूल कक्षाओं की पढ़ाई प्रारंभ हुई।

राजपूत शासकों, रियासतों के शासकों, राजकुमारों, सामन्तों के पुत्रों के लिए अंग्रेजी शिक्षा का पृथक प्रबन्धन करने के उद्देश्य से, सन् 1872 में वायसराय लार्ड मेयो के नाम पर अजमेर में, मेयो कॉलेज की स्थापना हुई, जिसका प्रथम सत्र 1875–76 में प्रारम्भ हुआ।

पंडित जनार्दन राय नागर ने 'सभी के लिए शिक्षा' के उद्देश्य से 21 अगस्त 1937 में राजस्थान विद्यापीठ संस्था की स्थापना की।

महिला शिक्षा

1861 में मिशनरी संस्था, कन्या वर्नाकुलर स्कूल प्रारंभ किया। सरकार द्वारा 1866 ई में पुष्कर अजमेर मेरवाड़ा केन्द्र शासित क्षेत्र में, प्रथम सरकारी कन्या स्कूल खोला गया। देशी रियासतों में महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने के प्रयास हुए, परिणाम स्वरूप उदयपुर, जयपुर, भरतपुर, अलवर, कोटा, झालावाड, टोंक, बीकानेर आदि रियासतों में भी कन्या विद्यालय खोले गए।

प्रमुख जननायक

राजस्थान की भूमि में कुछ ऐसे जननायक भी हुए हैं, जिन्होने न सिर्फ स्वतंत्रता में अपना

योगदान दिया बल्कि समाज में फैली हुई कुरीतियों को दूर करने के साथ ही स्त्री शिक्षा हेतु विशेष प्रयास किये।

1. भोगीलाल पण्ड्या

भोगीलाल पण्ड्या को राजस्थान में 'आदिवासियों का मसीहा' और 'वागड़ के गाँधी' के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म 1904 में डूंगरपुर में हुआ। इन्होंने बच्चों एवं प्रौढ़ों के लिए पाठशाला स्थापित की। यह पाठशाला आगे चलकर 'वागड़ सेवा मंदिर' के नाम से प्रसिद्ध हुई।

2. नाना भाई खांट (भील), सेंगा भाई, कालीबाई

डूंगरपुर राज्य में जनजागृति हेतु सेवा संघ द्वारा पाठशालाएँ खोली गईं। राज्य के पुलिस अधिकारी ने, नाना भाई को पाठशाला बंद करने के लिए कहा। उनके मना करने पर उनकी हत्या कर दी गई।

नाना भाई के शहीद होने के बाद, पाठशाला के दूसरे अध्यापक सेंगा भाई को भी फौज ने क्रूरता से पीटा और उन्हें वाहन के पीछे घसीटकर ले जाने लगे। किसी ने इसका प्रतिरोध नहीं किया। लेकिन 13 वर्षीय भील बालिका काली बाई ने, जो खेत से घास काटकर आई थी, भीड को चीरते हुई वाहन के पीछे बंधे सेंगा भाई की रस्सी को दाँतली से काट दिया और उन्हे बचा लिया। वाहन में बैठे फौजी ने, काली बाई पर गोली चला कर हत्या कर दी। अल्पायु में यह बालिका शहीद हो गई। नाना भाई खांट, सेगांभाई, काली बाई के त्याग ने, शिक्षा की स्थिति को मजबूत करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।

3. करणी सिंह

बीकानेर रियासत के, महाराजा करणी सिंह का जन्म 1924 में हुआ था। वे 1952 से 1977 तक 25 साल लोकसभा के सदस्य रहे। इनके द्वारा बालिका शिक्षा के लिए, सराहनीय प्रयास किए गए। सहशैक्षिक गतिविधियों के उन्नयन हेतु खेलकूद, निशानेबाजी आदि को प्रोत्साहित किया एवं छात्रवृत्ति की शुरूआत भी की।

4. हीरालाल शास्त्री

हीरालाल शास्त्री का जन्म 24 नवम्बर 1899 जोबनेर (जयपुर) में, एक कृषक परिवार में हुआ। प्रारंभ से ही समाज सेवा की भावना इनके मन में रही। जिसके कारण इन्होंने जयपुर राज्य की सेवा का परित्याग कर दिया। सन् 1929 में इन्होंने दूरस्थ एवं पिछड़े गाँव वनस्थली को अपना कार्यक्षेत्र चुना। यहाँ इन्होंने 'जीवन कुटीर' नामक संस्था की स्थापना की, जहाँ समर्पित सामाजिक ग्रामीण कार्यकर्ताओं को रोजगार और ग्रामीण क्षेत्र की पुनः रचना हेतु प्रशिक्षण दिया गया। ये आगे चलकर प्रजामण्डल में भी सक्रिय रहे। 1948 में जयपुर स्टेट के, एवं 30 मार्च 1949 को राजस्थान के

प्रथम मुख्यमंत्री बने। अपनी पत्नी के साथ मिलकर महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, 'वनस्थली विद्यापीठ' की स्थापना की।

5. रतन शास्त्री

रतन शास्त्री को महिला शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाली महिला के रूप में जाना जाता है। इन्होंने, वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की। महिला एवं बच्चों के शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के कारण इन्हें कई सम्मान मिले। जिनमें पद्म श्री, पद्म भूषण एवं जमनालाल बजाज अवार्ड प्रमुख हैं।

6. किशोरी देवी

किशोरी देवी स्वतंत्रता सेनानी एवं सामाजिक कार्यकर्ता थी। इनका जन्म दुलारों का बास, झुंझुनू जिले में हुआ था। 1938 में, इनके पति श्री सरदार हरलाल सिंह को, वहाँ के जागीरदार ने झूठे मुकदमें में फंसा कर कारावास में डाल दिया। इसके खिलाफ किशोरी देवी ने आन्दोलन चलाया। महिलाओं का समूह बनाकर जयपुर में सत्याग्रह भी किया। महिलाओं के उत्थान के लिए समाज सुधार और स्वतंत्रता आन्दोलन में भी भाग लिया।

7. मामा बालेश्वर दयाल

10 मार्च 1905 को जन्मे मामा बालेश्वर दयाल, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में प्रसिद्ध हैं। इन्होंने भील जनजाति विशेषकर राजस्थान एवं मध्यप्रदेश के लोगों के लिए काम किया। इसके लिए उन्होंने 'जल, जंगल और जमीन' आंदोलन चलाया।

शब्दावली

अभिशप्त – शाप लगा हुआ

उन्मूलन – समाप्त करना

पाण्डुलिपि – हस्तलिखित प्रतिलिपि

प्रबुद्ध – बुद्धिजीवी, ज्ञानवान

अभ्यास प्रश्न

I. निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर के विकल्प को कोष्ठक में लिखिए–

1. आजादी पूर्व राजस्थान में कौनसी कुप्रथाएँ प्रचलित थीं–

   (अ) सती प्रथा (ब) डाकन प्रथा

   (स) बाल विवाह (द) उपर्युक्त सभी ( )

2. 1819 को आधुनिक शिक्षा का पहला स्कूल कहाँ खोला गया ?

   (अ) जयपुर (ब) अजमेर

   (स) उदयपुर (द) जोधपुर ( )

II. मिलान कीजिए–

1. दास प्रथा	(i)	उदयपुर
2. अमृता देवी	(ii)	अजमेर
3. मेयो कॉलेज	(iii)	कुरीति
4. विद्याभवन	(iv)	खेजड़ली आंदोलन

III. अतिलघूत्तरात्मक प्रश्न–

1. वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना किस उद्देश्य से की गई?
2. आधुनिक शिक्षा के नाम से खोले गए स्कूलों के बन्द होने का कारण बताइए?

IV. लघूत्तरात्मक प्रश्न–

1. नानाभाई, सेंगाभाई एवं कालीबाई की जीवनी को बताइए।
2. बाल विवाह किसे कहते हैं ? समझाइए।

संविधान निर्माण में राजस्थान का योगदान

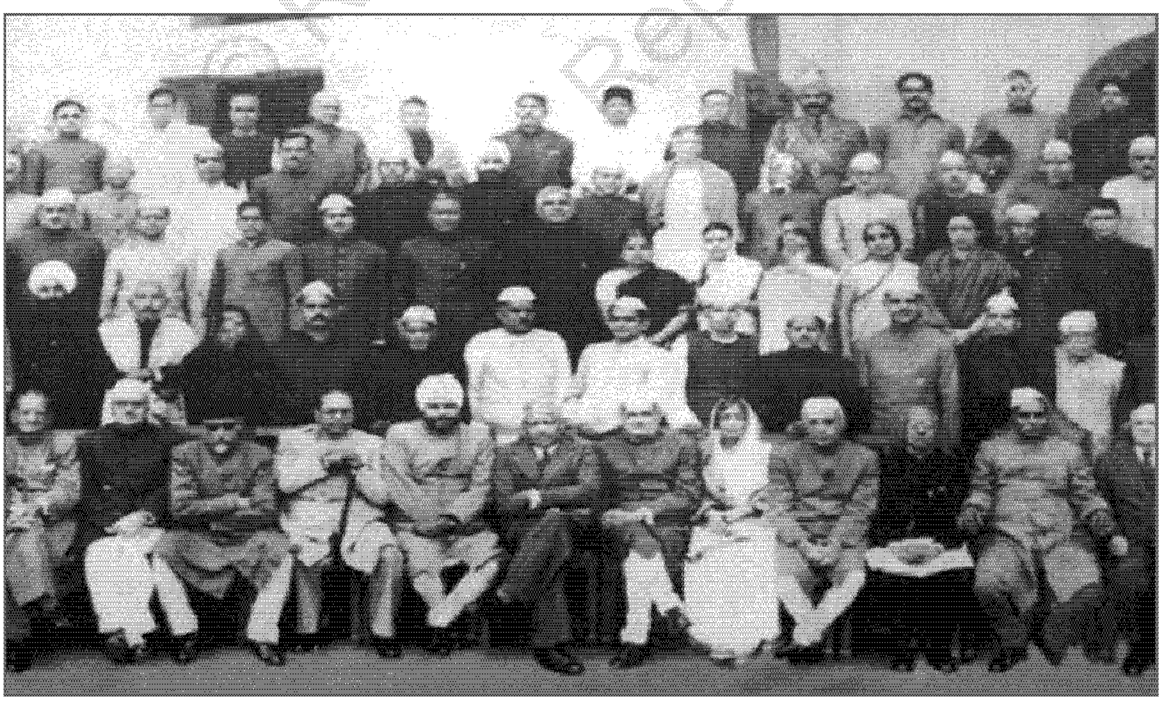
N2A7F8

हमारे देश, विभिन्न राज्यों एवं संस्थाओं के सुव्यवस्थित संचालन के लिए कुछ आवश्यक नियम होते हैं। इन नियमों एवं कानूनों का आधार हमारा संविधान है। संविधान आवश्यक नियमों व कानूनों का एक संग्रह है, जिनके आधार पर देश या किसी संस्था को संचालित किया जाता है।

अब प्रश्न यह है कि, हमारा संविधान कैसे बना और किन–किन लोगों का इसमें योगदान रहा? सन 1935 में पहली बार अधिकारिक रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, भारत के संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा बनाने की मांग की थी। सन् 1938 में पं. जवाहर लाल नेहरु द्वारा घोषणा की गयी, कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण चुनी हुई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा और उसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा।

संविधान सभा

भारत में स्वतंत्रता आन्दोलन की तीव्रता को देखते हुए, ब्रिटिश सरकार ने अपने तीन मंत्रियों का एक दल भारत भेजा, जिसको हम 'केबिनेट मिशन' के नाम से जानते हैं। इसी केबिनेट मिशन

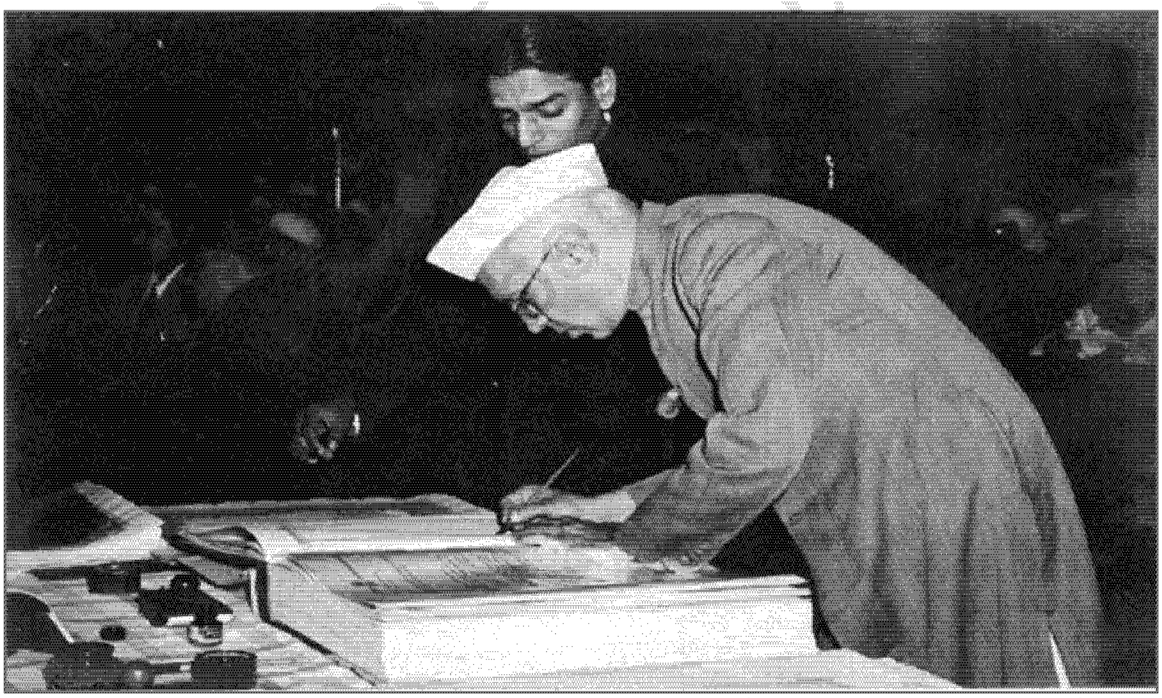


चित्र 10.1 : संविधान सभा के सदस्य

की योजना के अनुसार, 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा का अर्थ है– जनता के प्रतिनिधियों की वह सभा जो संविधान का निर्माण करती है। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसम्बर 1946 को, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई। बाद में, डॉ राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया । संविधान सभा ने एक प्रारूप समिति बनाई, जिसके अध्यक्ष डॉ. भीमराव अम्बेडकर थे। 13 दिसंबर 1946 को, जवाहर लाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने ''उद्देश्य प्रस्ताव'' पेश किया, जिसमें स्वतंत्र भारत के संविधान के मूल आदर्शों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। संविधान सभा के सदस्यों ने, स्वतंत्रता संग्राम से उपजे आदर्शों को ध्यान में रखते हुए संविधान का निर्माण किया । संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। संविधान सभा ने 26 नवम्बर 1949 को संविधान को स्वीकार किया । 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। सन् 2015 से प्रतिवर्ष 26 नवम्बर को 'संविधान दिवस' मनाया जाता है।

गतिविधि

अपने शिक्षक की सहायता से केबिनेट मिशन के तीनों सदस्यों के नाम लिखिए।



चित्र 10.2 : संविधान की मूल प्रति पर हस्ताक्षर करते हुए पं. जवाहर लाल नेहरु

संविधान सभा में, ब्रिटिश शासन के आधीन, प्रान्तों के निर्वाचित प्रतिनिधि व देशी रियासतों के मनोनीत प्रतिनिधि सम्मिलित थे। संविधान सभा में, राजस्थान के ब्रिटिश प्रान्त व रियासतों के सदस्य भी शामिल थे।

संविधान सभा में राजस्थान के सदस्य

संविधान सभा के गठन के समय, राजस्थान अनेक रियासतों में विभाजित था । अजमेर–मेरवाड़ा प्रान्त सीधे ही ब्रिटिश शासन के अधीन था। संविधान सभा में, राजस्थान से कुछ सदस्य यहाँ के मूल निवासी थे। कुछ सदस्य अन्य राज्यों के निवासी थे लेकिन राजस्थान की रियासतों में विभिन्न प्रशासनिक पदों पर कार्यरत थे।

संविधान सभा के सदस्य (राजस्थान के निवासी)

क्र.सं.	नाम सदस्य	रियासत
1	मुकुट बिहारी लाल भार्गव	अजमेर–मेरवाड़ा
2	माणिक्य लाल वर्मा	उदयपुर
3	जयनारायण व्यास	जोधपुर
4	बलवंत सिंह मेहता	उदयपुर
5	रामचंद्र उपाध्याय	अलवर
6	दलेल सिंह	कोटा
7	गोकुल लाल असावा	शाहपुरा (भीलवाड़ा)
8	जसवंत सिंह	बीकानेर
9	राज बहादुर	भरतपुर
10	हीरा लाल शास्त्री	जयपुर
11	सरदार सिंह	खेतड़ी

संविधान सभा के सदस्य, जो राजस्थान की रियासतों में प्रशासनिक अधिकारी थे–

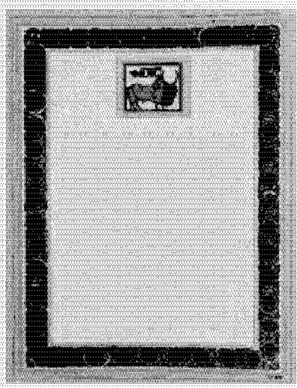
क्र.सं.	नाम सदस्य	रियासत
1	सर वी.टी.कृष्णमाचारी	जयपुर
2	सी.एस.वेंकटाचारी	जोधपुर
3	सरदार के .एम.पन्निकर	बीकानेर
4	सर टी.विजयराघवाचार्या	उदयपुर

इनके अतिरिक्त राजस्थान मूल के प्रवासी, राजस्थानी प्रभुदयाल हिम्मत सिंह का पश्चिम बंगाल से, बनारसी दास झुंझुनवाला बिहार से, पदमपत सिंघानिया उत्तर प्रदेश से, संविधान सभा के सदस्य चुने गए।

गतिविधि

शिक्षक के निर्देशन में अपने विद्यालय की छात्र संसद के संविधान पर जानकारी प्राप्त करें।

यह भी जानें–



भारत के संविधान की मूल प्रति में भारत के वैभवशाली इतिहास, परम्परा और संस्कृति को दर्शाने वाले 22 चित्र हैं । इन चित्रों का निर्माण चित्रकार नन्दलाल बोस ने किया। राजस्थान के चित्रकार कृपाल सिंह शेखावत ने भी इनमें अपना प्रमुख योगदान दिया। संविधान के कुछ पृष्ठों का कलांकन कृपाल सिंह शेखावत द्वारा किया गया है। प्रस्तुत चित्र शेखावत द्वारा चित्रांकित पृष्ठ का है।

राजस्थान से संविधान सभा के सदस्य

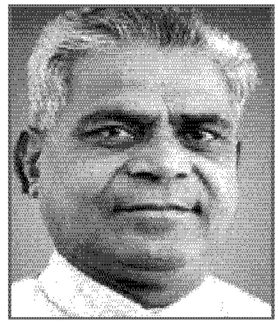
1. मुकुट बिहारी लाल भार्गव

मुकुट बिहारी लाल भार्गव का जन्म 30 जनवरी सन 1903 को राजस्थान की उदयपुर रियासत में हुआ था। ये वकील थे। सी. आर. दास, मोतीलाल नेहरू और महात्मा गाँधी के प्रभाव से प्रेरित होकर वे राजबंदियों के मुकदमों में पैरवी करते थे। 'व्यक्तिगत सत्याग्रह' और 'भारत छोड़ो आंदोलन' में जेल भी गए। संविधान सभा में इन्होंने अजमेर–मेरवाड़ा प्रान्त का प्रतिनिधित्व किया। स्वतंत्रता के बाद तीन बार अजमेर निर्वाचन क्षेत्र से, लोक सभा के सदस्य रहे।

2. माणिक्य लाल वर्मा

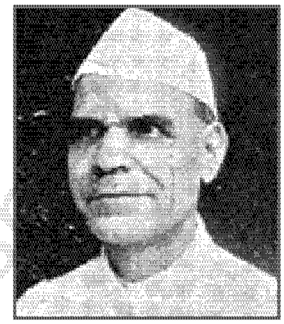


माणिक्य लाल वर्मा का जन्म 4 दिसंबर 1897 बिजोलिया, भीलवाड़ा में हुआ। माणिक्यलाल वर्मा ने अक्टूबर 1938 में प्रजामंडल पर लगी रोक हटाने के लिए हुए सत्याग्रह आंदोलन का अजमेर में संचालन किया। इन्होंने सन 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की। वर्मा जी का लिखा हुआ, 'पंछिड़ा' गीत बहुत लोकप्रिय हुआ। वे 1948 में वृहत्तर राजस्थान के प्रधानमंत्री व 1963 में राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष रहे। वर्मा को उदयपुर से संविधान सभा का प्रतिनिधित्व दिया गया।



3. जयनारायण व्यास

जयनारायण व्यास का जन्म 18 फरवरी 1899 में जोधपुर में हुआ। श्री जय नारायण व्यास 1927 में 'तरुण राजस्थान' के प्रधान संपादक तथा 1936 में 'अखंड भारत' के प्रकाशक रहे। ये सन् 1951 से 1956 की अवधि में दो बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। इन्होंने सामंतशाही के विरुद्ध संघर्ष किया एवं जागीरदारी प्रथा समाप्त करने की आवाज उठायी। ये जोधपुर से संविधान सभा के सदस्य बने।



4. बलवंत सिंह मेहता

बलवंत सिंह मेहता का जन्म 8 फरवरी 1900 में उदयपुर में हुआ। सन 1938 में प्रजामंडल के पहले अध्यक्ष बने। बलवंत सिंह मेहता ने, 1943 ईस्वी में उदयपुर में वनवासी छात्रावास की स्थापना की। ये संविधान सभा के सदस्य के रूप में मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले, पहले राजस्थानी थे।

5. रामचंद्र उपाध्याय

रामचंद्र उपाध्याय अलवर रियासत के प्रतिनिधि के रूप में, संविधान सभा के सदस्य थे। ये प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी व पेशे से वकील थे।

6. दलेल सिंह

कोटा के लेफ्टिनेंट कर्नल दलेल सिंह का जन्म 18 मार्च, 1909 को हुआ। ये कोटा के महाराव भीम सिंह के निजी सचिव थे। कानून के जानकार थे। 1946 से 1950 तक संविधान सभा में कार्य किया। इन्होंने संविधान की प्रति पर हस्ताक्षर किये।

7. गोकुल लाल असावा

गोकुल लाल असावा की प्रारम्भिक शिक्षा शाहपुरा के मिडिल स्कूल में हुई। इन्होंने कोटा के हार्वर्ड कॉलेज में अध्यापन कार्य शुरू किया, किन्तु राष्ट्रीय गतिविधियों को देखकर उन्हें कॉलेज सेवा से पृथक् कर दिया गया। इसके बाद असावा कोटा से अजमेर आ गये। 1930 से 1932 ई के बीच इन्हें चार बार जेल जाना पड़ा। असावा शाहपुरा (भीलवाड़ा) से संविधान सभा के प्रतिनिधि बने।

8. जसवंत सिंह

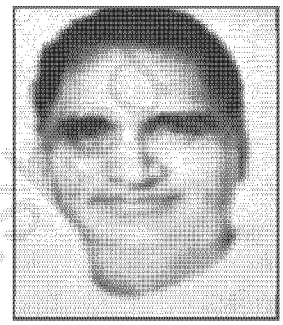
भारत के संविधान के निर्माण में, बीकानेर भी प्रत्यक्ष तौर पर भागीदार रहा है। ठाकुर जसवंत सिंह संविधान सभा के सदस्य थे। बाद में वे राज्यसभा के सदस्य भी मनोनीत हुए। ये बीकानेर रियासत के महाराजा सार्दुल सिंह के प्रधानमंत्री रहे।

9. राज बहादुर



भरतपुर के स्वतंत्रता सेनानी, राज बहादुर संविधान सभा में मनोनीत किए गए। इन्होंने समाज के पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए कार्य किया तथा भरतपुर रियासत में बेगार प्रथा का विरोध किया। ये पेशे से वकील थे। ये केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री भी रहे। इन्होंने नेपाल में भारत के राजदूत के रूप में भी कार्य किया।

10. हीरा लाल शास्त्री



हीरालाल शास्त्री का जन्म 24 नवम्बर 1899 को जयपुर के जोबनेर कस्बे में हुआ। अर्जुनलाल सेठी के सम्पर्क में आने के बाद, इन्होंने राजकीय सेवा से त्याग पत्र दे दिया। संविधान सभा में इन्होंने सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार की वकालत की थी। शास्त्रीजी ने टोंक जिले की निवाई तहसील के वनस्थली ग्राम में 'जीवन कुटीर' नामक संस्था की स्थापना की। इसके माध्यम से समाज सेवा की दिशा में महत्त्वपूर्ण कार्य किया गया। इसके बाद वे जयपुर प्रजामंडल से जुड़े रहे। ये अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद् के प्रधानमंत्री और राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री बने।

11. सरदार सिंह

खेतड़ी के राजा सरदार सिंह, संविधान सभा के सदस्य रहे। सरदार सिंह, 1950 से 1952 के बीच अस्थायी संसद के सदस्य भी रहे। फिर 1952 से 1956 के बीच राज्यसभा सदस्य रहे। सन् 1958 से 1961 के बीच भारत ने उनको लाओस में राजदूत बनाकर भेजा। 30 अक्टूबर, 1985 को इनका निधन हो गया।

12. सर वी.टी. कृष्णमाचारी

सर वी.टी. कृष्णमाचारी मूलतः तमिलनाडु के रहने वाले थे। ये जयपुर रियासत के दीवान थे। डी.पी. खैतान के निधन के बाद, इन्हें संविधान की प्रारूप समिति में जगह दी गई थी। 1961 में राज्य सभा के लिए चुने गए ।

13. सी. एस. वेंकटाचारी

सी. एस. वेंकटाचारी कर्नाटक के रहने वाले, प्रशासनिक अधिकारी (आईसीएस) थे। जोधपुर के महाराजा उम्मेद सिंह ने, इनको 1949 में अपना प्रशासनिक अधिकारी बनाया। बाद में जयपुर राजप्रमुख राजा मानसिंह के प्रशासनिक अधिकारी बने। 6 जनवरी 1951 से 25 अप्रेल 1951 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे।

14. सरदार के. एम. पन्निकर

केरल राज्य के रहने वाले, सरदार के. एम. पन्निकर ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में शिक्षा प्राप्त करने के बाद, भारत लौटकर अलीगढ़ तथा कलकत्ता विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया। ये पटियाला राज्य के विदेश मंत्री रहे तथा बाद में बीकानेर राज्य के प्रधानमंत्री बने। 28 अप्रैल, 1947 को ये बीकानेर राज्य के प्रतिनिधि के रूप में संविधान सभा के सदस्य बने। भारत के स्वतंत्र होने के बाद उन्हें चीन, मिस्र और फ्रांस का राजदूत बनाया गया।

15. सर टी. विजयराघवाचार्या

सर टी. विजयराघवाचार्या मूलतः तमिलनाडु के रहने वाले, प्रशासनिक अधिकारी (आईसीएस) थे। बाद में ये मेवाड़ के प्रधानमंत्री रहे। बिजौलिया किसान आन्दोलन के दौरान, इन्होंने अपने राजस्व मंत्री डॉ.मोहन सिंह मेहता को बिजौलिया भेजा, इन्होंने किसानों से समझौता किया। लगान की दरें कम क, अनेक लाग–बाग हटा दिए तथा बेगार प्रथा को समाप्त किया। सर टी. विजयराघवाचार्या ने संविधान सभा में मेवाड़ का प्रतिनिधित्व किया।

गतिविधि

संविधान सभा में राजस्थान के सदस्यों के नाम का चार्ट बना कर कक्षा में प्रदर्शित कीजिए। संभव हो तो चित्रों (फोटो) का संकलन भी कीजिए।

शब्दावली

संविधान सभा — भारत का संविधान निर्माण करने के लिए निर्मित सभा।

सत्याग्रह — सत्य हेतु किया गया अहिंसात्मक आग्रह।

जागीरदारी प्रथा — राजाओं द्वारा अपने रक्त सम्बन्धियों को शासन हेतु भू–क्षेत्र देना।

मंत्रिमंडल — मंत्रियों का समूह।

प्रारूप समिति — संविधान सभा की एक समिति जिसने संविधान का मसौदा तैयार किया।

अभ्यास प्रश्न

I. निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर के विकल्प को कोष्ठक में लिखिए–

1. आवश्यक नियमों व कानूनों का संग्रह, जिनके आधार पर किसी संस्था या देश का संचालन किया जाता है, कहलाता है–

   (अ) संग्रहालय (ब) संविधान

   (स) विद्यालय (द) इनमें से कोई नहीं ( )

2. 26 जनवरी 1950 को हम महत्त्वपूर्ण दिवस के रूप में याद करते हैं, क्योंकि इस दिन–

   (अ) संविधान निर्मित हुआ (ब) संविधान सभा का गठन हुआ

   (स) संविधान लागू हुआ (द) हमारा देश आजाद हुआ ( )

II. स्तम्भ 'अ' को स्तम्भ 'ब' से सुमेलित कीजिए–

	स्तम्भ अ	स्तम्भ ब
(अ)	जयनारायण व्यास	जयपुर
(ब)	गोकुल लाल असावा	उदयपुर
(स)	हीरा लाल शास्त्री	जोधपुर
(द)	बलवंत सिंह मेहता	शाहपुरा (भीलवाड़ा)

III. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए–

1. भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष..................... थे।
2. संविधान दिवस ....को मनाया जाता है।

IV. अतिलघूत्तरात्मक प्रश्न–

1. केबिनेट मिशन क्या था?
2. 'अखण्ड–भारत' के प्रकाशक कौन थे।

V. लघूत्तरात्मक प्रश्न –

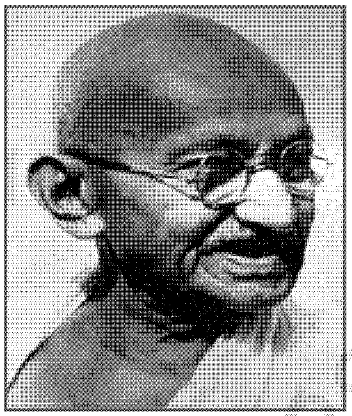
1. संविधान सभा के उन सदस्यों के नाम लिखिए जो राजस्थान के मूल निवासी थे।
2. हीरालाल शास्त्री का जीवन परिचय बताइए।
3. बलवंत सिंह मेहता का संक्षिप्त परिचय दीजिए।

परिशिष्ट– महात्मा गांधी

Q7F8Q5

"खुद वो बदलाव बनिए, जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं।"

—महात्मा गांधी



गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में अपने जन्म से लेकर 1920–21 तक की घटनाओं के बारे में लिखा है। पोरबंदर के शुरुआती दिन, स्कूली जीवन का लड़कपन और 13 साल की उम्र में ही शादी हो जाने की घटनाओं का, उन पर प्रभाव से इस महान व्यक्तित्व को करीब से समझा जा सकता है। साथ ही उस समय के देश के वातावरण और सामाजिक जीवन की झलक दिखाई देती है। गांधी जी ने अपनी पत्नी को बताकर, ब्रह्मचर्य का व्रत भी ले लिया था। राजनीति में उनके द्वारा किए गए सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के सफल प्रयोगों की जानकारी मिलती है। यहाँ हम गांधीजी के एक प्रयोग का उनके शब्दों में ही अध्ययन करेंगे–

साथी

ब्रजकिशोर बाबू और राजेंद्र बाबू की तो एक अद्वितीय जोड़ी थी। उन्होंने अपने प्रेम से मुझे इतना पंगु बना दिया था कि, उनके बिना मैं एक कदम भी आगे नहीं जा सकता था। उनके शिष्य कहिए अथवा साथी, शंभू बाबू, अनुग्रह बाबू, धरणी बाबू और रामनवमी बाबू–ये वकील लगभग निरंतर मेरे साथ रहते थे। विंध्या बाबू भी समय–समय पर साथ रहते थे। यह तो बिहारियों का संघ हुआ। उनका मुख्य काम था लोगों के बयान लेना।

अध्यापक कृपलानी इसमें सम्मिलित हुए बिना कैसे रह सकते थे? स्वयं सिंधी होते हुए, वे बिहारी से भी बढकर बिहारी थे। मैंने ऐसे सेवक कम देखे हैं, जिनमें वे जिस प्रांत में जाएँ उसमें पूरी तरह घुलमिल जाने की शक्ति हो और जो किसी को यह मालूम न होने दें, कि वे दूसरे प्रांत के हैं। इनमें कृपलानी एक हैं । उनका मुख्य काम द्वारपाल का था। दर्शन करने वालों से मुझे बचा लेने में, उन्होंने इस समय अपने जीवन की सार्थकता समझ ली थी। किसी को वे विनोद करके मेरे पास आने से रोकते थे, तो किसी को अहिंसक धमकी से। रात होने पर अध्यापक का धंधा शुरू करते और सब साथियों को हँसाते थे, और कोई डरपोक पहुँच जाए, तो उसे हिम्मत बँधाते थे।

मौलाना मजहरुल हक ने मेरे सहायक के रूप में, हक दर्ज करा रखा था और वे महीने में एक–दो बार दर्शन दे जाते थे। उस समय के उनके ठाठ–बाट और दबदबे में और आज की उनकी सादगी में जमीन–आसमान का अंतर है। हमारे बीच आकर वे हमसे हृदय की एकता साध जाते थे, पर अपनी साहबी के कारण बाहर के आदमी को वे हम से अलग–जैसे जान पडते थे।

जैसे–जैसे मुझे अनुभव प्राप्त होता गया, वैसे–वैसे देखा कि चंपारन में ठीक से काम करना हो, तो गाँवों में शिक्षा का प्रवेश होना चाहिए। लोगों का अज्ञान दयनीय था। गाँवों के बच्चे मारे–मारे फिरते थे अथवा माता–पिता दो या तीन पैसे की आमदनी के लिए उनसे, सारे दिन नील के खेतों में मजदूरी करवाते थे । उन दिनों वहाँ पुरूषों की मजदूरी दस पैसे से अधिक नहीं थी। स्त्रियों की छह पैसे और बालकों की तीन पैसे थी। चार आने की मजदूरी पाने वाला किसान, भाग्यशाली समझा जाता था।

साथियों से सलाह करके पहले तो छह गाँवों में बालकों के लिए पाठशालाएँ खोलने का निश्चय किया! शर्त यह थी कि, उन गाँवों के मुखिया मकान और शिक्षक का भोजन–व्यय दें, उसके दूसरे खर्चे की व्यवस्था हम करें। यहाँ के गाँवों में पैसे की विपुलता नही थी, पर अनाज वगैरा देने की शक्ति लोगों में थी। इसलिए लोग कच्चा अनाज देने को तैयार हो गए थे।

महान प्रश्न यह था कि, शिक्षक कहाँ से लाए जाँए? बिहार में थोड़ा वेतन लेने वाले अथवा कुछ न लेने वाले अच्छे शिक्षकों का मिलना कठिन था। मेरी कल्पना यह थी कि, साधारण शिक्षक के हाथ में बच्चों को कभी न छोड़ना चाहिए। शिक्षक को अक्षर–ज्ञान चाहे थोड़ा हो, पर उसमें चरित्रबल तो होना ही चाहिए।

इस काम के लिए मैंने सार्वजनिक रूप से स्वयंसेवकों की माँग की। उसके उत्तर में गंगाधर राव देशपांडे ने बाबा साहब सोमण और पुंडलीक को भेजा। बंबई से अवन्तिका बाई गोखले आईं। दक्षिण से आनंदी बाई आईं। मैंने छोटेलाल, सुरेंद्र नाथ तथा अपने लड़के देवदास को बुला लिया। इसी बीच महादेव देसाई और नरहरि पारीख मुझे मिल गए थे। महादेव देसाई की पत्नी दुर्गाबहन और नरहरि पारीख की पत्नी मणिबहन भी आईं। मैंने कस्तूरबाई को भी बुला लिया था। शिक्षकों और शिक्षिकाओं का इतना संघ काफी था। श्रीमती अवन्तिका बाई और आनंदी बाई की गिनती तो शिक्षितों में हो सकती थी, पर मणिबहन पारीख और दुर्गाबहन देसाई को सिर्फ थोड़ी–सी गुजराती आती थी। कस्तूरबाई की पढ़ाई तो नहीं के बराबर ही थी। ये बहनें हिंदी–भाषी बच्चों को किस प्रकार पढ़ाती ?

चर्चा करके मैंने बहनों को समझाया कि, उन्हें बच्चों को व्याकरण नहीं, बल्कि रहन–सहन का तौर–तरीका सिखाना है। पढ़ना–लिखना सिखाने की अपेक्षा उन्हें स्वच्छता के नियम सिखाने हैं। उन्हें यह भी बताया कि हिंदी, गुजराती, मराठी के बीच कोई बड़ा भेद नहीं है, और पहले दर्जे में

तो मुश्किल से अंक लिखना सिखाना है। अतएव उन्हें कोई कठिनाई होगी ही नहीं। परिणाम यह निकला कि बहनों की कक्षाएँ बहुत अच्छी तरह चलीं। बहनों में आत्मविश्वास उत्पन्न हो गया और उन्हें अपने काम में रस भी आने लगा। अवन्तिका बाई की पाठशाला, आदर्श पाठशाला बन गई। उन्होंने अपनी पाठशाला में प्राण फूँक दिए। उनकी योग्यता भी काफी थी। इन बहनों के द्वारा गाँवों के स्त्री –समाज में भी हमारा प्रवेश हो सका था।

पर मुझे पढ़ाई की व्यवस्था करके ही, रूकना नहीं था। गाँवों में, गंदगी की कोई सीमा न थी। गलियों में कचरा, कुओं के आस–पास कीचड़ और बदबू, आँगन इतने गंदे कि देखे न जा सकें। बड़ों को, स्वच्छता की शिक्षा की जरूरत थी। चंपारन के लोग रोगों से पीड़ित देखे जाते थे। जितना हो सके उतना सफाई का काम करके लोगों के जीवन के प्रत्येक विभाग में प्रवेश करने की हमारी वृत्ति थी।

इस काम में डॉक्टरों की सहायता की जरूरत थी। अतएव मैंने गोखले की सोसायटी से डॉ. देव की माँग की। उनके साथ मेरी स्नेहगाँठ तो बँध ही चुकी थी। छह महीनों के लिए, उनकी सेवा का लाभ मिला। उनकी देखरेख में शिक्षकों और शिक्षिकाओं को काम करना था।

सबको यह समझा दिया गया था कि कोई भी निलहों के विरूद्ध की जाने वाली शिकायतों में न पड़े। राजनीति को न छुएँ। शिकायत करने वालों को मेरे पास भेज दें। कोई अपने क्षेत्र से बाहर एक कदम भी न रखे। चंपारन के इन साथियों का नियम–पालन अद्भुत था। मुझे ऐसा कोई अवसर याद नहीं आता जब किसी ने दी हुई सूचनाओं का उल्लघंन किया हो।

(सत्य के प्रयोग – मेरी आत्मकथा से उद्धृत)

गतिविधि

शिक्षक एवं विद्यार्थी, गांधीजी के जीवन के अन्य प्रेरक प्रसंग कक्षा में एवं बालसभा में सुनाएं।